



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2360]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, सितम्बर 29, 2016/आश्विन 7, 1938

No. 2360]

NEW DELHI, THURSDAY, SEPTEMBER 29, 2016/ ASVINA 7, 1938

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 29 सितम्बर, 2016

का.आ. 3078(अ).—केंद्रीय सरकार, आय-कर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 145 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय की भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशित अधिसूचना सं. का.आ. 892(अ) तारीख 31 मार्च, 2015 को सिवाय उन बातों के, जिनको ऐसे विखंडन से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, विखंडित करती है।

[अधिसूचना सं. 86/2016/फा. सं. 133/23/2015-टीपीएल]

पितम्बर दास, निदेशक (कर नीति और विधान)

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

(CENTRAL BOARD OF DIRECT TAXES)

NOTIFICATION

New Delhi, the 29th September, 2016

S.O. 3078(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 145 of the Income-tax Act, 1961(43 of 1961), the Central Government hereby rescinds the notification of the Government of India in the Ministry of Finance, Department of Revenue, published in the Gazette of India, Part-II, Section 3, Sub-section (ii), *vide* notification number S.O. 892(E) dated the 31st March, 2015, except as respects things done or omitted to be done before such rescission.

[Notification No. 86/2016/F. No.133/23/2015-TPL]

PITAMBAR DAS, Director (Tax Policy and Legislation)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 29 सितम्बर, 2016

का.आ. 3079(अ)—केंद्रीय सरकार, आय-कर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 145 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, सभी निर्धारितियों (व्यष्टिक या हिन्दू अविभक्त कुटुंब, जिनसे उक्त अधिनियम की धारा 44कख के उपबंधों के अनुसरण में उनके पूर्व वर्ष के लेखाओं की लेखा परीक्षा करने की अपेक्षा नहीं है), जो लेखांकन की वाणिज्यिक प्रणाली का अनुसरण कर रहे हैं, के लिए इस अधिसूचना के उपाबंध में यथाविनिर्दिष्ट आय संगणना और प्रकटन मानकों को, “कारबार या वृत्ति” या “अन्य स्रोतों से आय” शीर्ष के अधीन आय-कर से प्रभार्य आय की संगणना करने के प्रयोजनों के लिए अधिसूचित करती है।

2. यह अधिसूचना निर्धारण वर्ष 2017-18 और पश्चातवर्ती निर्धारण वर्षों को लागू होगी।

उपबंध

क. लेखांकन नीतियों से संबंधित आय संगणना और प्रकटन मानक।

उद्देशिका

यह आय संगणना और प्रकटन मानक “कारबार या वृत्ति के लाभ और अभिलाभ” अथवा “अन्य स्रोतों से आय” शीर्ष के अधीन प्रभार्य आय की संगणना के लिए, न कि बहियों के बनाए रखे जाने के प्रयोजन के लिए, लागू होता है।

आय-कर अधिनियम, 1961 (‘अधिनियम’) और इस आय संगणना और प्रकटन मानक के उपबंधों के बीच विरोध की दशा में, अधिनियम के उपबंध उस सीमा तक अभिभावी होंगे।

व्याप्ति

1. यह आय संगणना और प्रकटन मानक महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों के संबंध में है।

मूलभूत लेखांकन धारणाएं

2. मूलभूत लेखांकन धारणाएं निम्नलिखित हैं, अर्थात:-

(क) चालू समुत्थान

“चालू समुत्थान” उस धारणा के प्रति निर्देश करता है कि व्यक्ति का उसका परिसमापन करने का कोई आशय नहीं है और न ही उसकी आवश्यकता है या कारबार, वृत्ति या व्यवसाय के मापमान को तात्त्विक रूप से कम करने का नहीं है और उसका अपने कारबार, वृत्ति या व्यवसाय को पूर्वानुमेय भविष्य के लिए जारी रखने का आशय है।

(ख) संगति

“संगति” उस धारणा के प्रति निर्देश करता है कि लेखांकन नीतियां एक अवधि से दूसरी अवधि तक संगत हैं।

(ग) प्रोद्भवन

“प्रोद्भवन” उस धारणा के प्रति निर्देश करता है कि राजस्व और लागत उसी रूप में प्रोद्भूत होते हैं अर्थात वे उस पूर्व वर्ष में, जिससे वे संबंधित हैं, उपार्जित या उपगत और अभिलिखित रूप में (न कि प्राप्त या संदत्त धन के रूप में) मान्य हैं।

लेखांकन नीतियां

3. लेखांकन नीतियां किसी व्यक्ति द्वारा अंगीकृत विनिर्दिष्ट लेखांकन सिद्धांतों और उन सिद्धांतों को लागू होने वाली पद्धतियों के प्रति निर्देश करती हैं।

लेखांकन नीतियों के चयन और उनमें परिवर्तन की विचारणाएं

4. किसी व्यक्ति द्वारा अंगीकृत नीतियां वैसी होंगी, जिससे कारबार, वृत्ति या व्यवसाय के सही और ऋजु कार्यकलापों तथा उसकी आय को दर्शाया जा सके। इस प्रयोजन के लिए:-

(i) संव्यवहारों और परिणामों का निरूपण और प्रस्तुतीकरण उनके तात्पर्य से, न कि मात्र उसके विधिक रूप से, शासित होगा: और

(ii) बाजार-हानि हानि के रूप में चिह्नांकित या कोई संभावित तब तक मान्य नहीं होगी जब तक कि ऐसी हानि को मान्य किया जाना किसी आय संगणना और प्रकटन मानक के उपबंधों के अनुसार नहीं है।

5. लेखांकन नीति में युक्तियुक्त कारण के बिना परिवर्तन नहीं किया जाएगा।

लेखांकन नीतियों का प्रकटन

6. किसी व्यक्ति द्वारा अंगीकृत सभी महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों को प्रकट किया जाएगा।

7. लेखांकन नीतियों में, जिसका तात्त्विक प्रभाव है, किसी परिवर्तन को प्रकट किया जाएगा। उस परिमाण को भी, जिस तक ऐसे परिवर्तन से किसी मद पर प्रभाव पड़ता है, अभिनिश्चये विस्तार तक प्रकटन किया जाएगा। जहां ऐसा परिमाण पूर्णतः या भागतः अभिनिश्चये नहीं है, वहां उस तथ्य को उपदर्शित किया जाएगा। यदि लेखांकन नीतियों में कोई ऐसा परिवर्तन किया जाता है, जिसका चालू पूर्व वर्ष के लिए कोई प्रभाव नहीं है बल्कि पश्चात्पूर्व वर्ष में उसका युक्तियुक्त रूप से तात्त्विक प्रभाव पड़ने की संभावना है तो ऐसे परिवर्तन को समुचित रूप से उस पूर्व वर्ष में प्रकट किया जाएगा जिसमें परिवर्तन को अंगीकृत किया जाता है और उसे पूर्व वर्ष में भी प्रकट किया जाएगा, जिसमें ऐसे परिवर्तन का प्रथम बार तात्त्विक प्रभाव होता है।

8. लेखांकन नीतियों का या उसमें के परिवर्तनों के प्रकटन से किसी मद के दोष का या उसके अनुचितनिरूपण का कोई उपचार नहीं हो सकता।

9. यदि चालू समुत्थान, संगति और प्रोद्भवन की मूलभूत लेखांकन धारणाओं का अनुसरण किया जाता है तो विनिर्दिष्ट प्रकटन अपेक्षित नहीं है। यदि मूलभूत लेखांकन धारणाओं का अनुसरण नहीं किया जाता है तो उस तथ्य को प्रकट किया जाएगा।

संक्रमणकालीन उपबंध

10. 1 अप्रैल, 2016 का विद्यमान या 1 अप्रैल, 2016 का या उसके पश्चात की गई सभी संविदाओं और संव्यवहारों के संबंध में, 31 मार्च, 2016 को या उसके पूर्व समाप्त होने वाले पूर्व वर्ष के लिए उक्त संविदा या संव्यवहार की बाबत मान्य आय, व्यय या हानि, यदि कोई हो, को हिसाब में लेने के पश्चात इस मानक के उपबंधों के अनुसार कार्रवाई की जाएगी।

ख. सूचीबद्ध सामग्री के मूल्यांकन से संबंधित आय संगणना और प्रकटन मानक।

उद्देशिका

यह आय संगणना और प्रकटन मानक “कारबार या वृत्ति के लाभ और अभिलाभ” अथवा “अन्य स्रोतों से आय” शीर्ष के अधीन प्रभार्य आय की संगणना के लिए, न कि लेखा बहियों के बनाए रखे जाने के प्रयोजन के लिए लागू होता है।

आय-कर अधिनियम, 1961 (‘अधिनियम’) और इस आय संगणना और प्रकटन मानक के उपबंधों के बीच विरोध की दशा में, अधिनियम के उपबंध उस सीमा तक अभिभावी होंगे।

व्यति

1. यह आय संगणना और प्रकटन मानक सूचीबद्ध सामग्री के मूल्यांकन को निम्नलिखित के सिवाय लागू होगा।

(क) “सन्निर्माण संविदा” के अधीन, जिसके अंतर्गत ऐसी प्रत्यक्षतः संबंधित सेवा संविदा भी है, जो सन्निर्माण संविदाओं से संबंधित आय संगणना और प्रकटन मानक के संबंध में है, उद्भूत प्रगतिशील कार्य

- (ख) ऐसा प्रगतिशील कार्य, जिस पर अन्य आय संगणना और प्रकटन मानक के अनुसार कार्रवाई की जाती है
- (ग) व्यापार स्टॉक में रखे गए ऐसे शेयर, डिबेंचर और अन्य वित्तीय लिखतें, जिन पर प्रतिभूति संबंधी आय संगणना और प्रकटन मानक के अनुसार कार्रवाई की जाती है।
- (घ) चीजबस्त, कृषि और वनोत्पादों, खनिज तेलों, उपस्करों और गैसों की उस सीमा तक, उन्हें शुद्ध वसूली योग्य मूल्य पर मापा जाता है, उत्पादक की सूचीबद्ध सामग्री।
- (ङ.) मशीनरी के ऐसे फालतू पुर्जों के संबंध पर, जिनका प्रयोग केवल मूर्त स्थिर आस्ति के संबंध में किया जा सकता है और उनका प्रयोग अनियमित होने की संभावना है, कार्रवाई मूर्त स्थिर आस्तियों से संबंधित आय संगणना और प्रकटन मानक के अनुसार की जाएगी।

परिभाषाएं

2. (1) इस आय संगणना और प्रकटन मानक में निम्नलिखित पदों को उनके विनिर्दिष्ट अर्थ रूप में, प्रयुक्त किया गया है

- (क) “सूचीबद्ध सामग्री” ऐसी आस्तियां हैं, जो
- कारबार के सामान्य अनुक्रम में विक्रयार्थ धारण की गई है
 - ऐसे विक्रय के लिए उत्पादन की प्रक्रियाधीन हैं
 - उत्पादन की प्रक्रिया में या सेवाएं प्रदान करने में उपभोग की जाने वाली सामग्रियों और प्रदायों के रूप में हैं।

- (ख) “शुद्ध वसूली योग्य मूल्य” कारबार के सामान्य अनुक्रम में ऐसी प्राक्कलित विक्रय कीमत है, जो कार्य पूरा होने के अनुमानित खर्चों और ऐसे अनुमानित खर्चों को, जो विक्रय करने के लिए आवश्यक हों, कम करके निकली हो।

2. (2) ऐसे शब्दों और पदों के, जो आय संगणना और प्रकटन मानक में प्रयुक्त हैं और परिभाषित नहीं हैं, किंतु अधिनियम में परिभाषित हैं, वही अर्थ होंगे जो उस अधिनियम में उनके हैं।

मापमान

3. सूचीबद्ध सामग्री का मूल्य लागत या शुद्ध वसूली योग्य मूल्य पर, इनमें से जो भी कम हो, लगाया जाएगा।

सूचीबद्ध सामग्री की लागत

4. सूचीबद्ध सामग्री की लागत में क्रय के सभी खर्च, सेवाओं के खर्च, संपरिवर्तन के खर्च और ऐसे अन्य खर्च समाविष्ट होंगे, जो सूचीबद्ध सामग्री को उनके वर्तमान अवस्थान और स्थिति में लाए जाने में उपगत हुए हों।

क्रय के खर्च

5. क्रय के खर्चों में क्रय कीमत, जिसके अंतर्गत शुल्क और कर, आवक भाड़ा और अन्य व्यय भी हैं, जो प्रत्यक्षतः अर्जन के कारण हुए माने जा सकते हैं, समाविष्ट होंगे। क्रय के खर्चों का अवधारण करने में व्यापार- बटों, रिबेटों और वैसी ही अन्य मदों की कटौती की जाएगी।

सेवाओं का खर्च

6. सेवाओं के खर्च में, ऐसे कार्मिकों के जो सीधे सेवा प्रदान करने में लगे हुए हों, जिसमें पर्यवेक्षण कार्मिक भी हैं, श्रम संबंधी और अन्य खर्च तथा उसके संबंध में हुए माने जा सकने वाले ऊपरिखर्च भी समाविष्ट हैं।

संपरिवर्तन के खर्च

7. सूचीबद्ध सामग्री के संपरिवर्तन के खर्चों के अंतर्गत उत्पादन की इकाइयों से प्रत्यक्षतः संबंधित ऐसे खर्च तथा नियम और परिवर्तनशील उत्पादन के पद्धतिबद्ध विभाजन के ऊपरिखर्च आएंगे, जो सामग्री को तैयार माल में संपरिवर्तन करने में उपगत किए जाते हैं। नियत उत्पादन ऊपरिखर्च उत्पादन के वे अप्रत्यक्ष खर्च होंगे, जो उत्पादन के परिमाण को विस्तार में लिए बिना सापेक्ष रूप से स्थिर बने रहते हैं। परिवर्तनीय उत्पादन ऊपरिखर्च उत्पादन के वे अप्रत्यक्ष खर्च होंगे जो प्रत्यक्षतः या निकटतम रूप में प्रत्यक्षतः उत्पादन के परिमाण से न्यूनाधिक होते हैं।

8. संपरिवर्तन के खर्चों में नियत उत्पादन ऊपरिखर्च को सम्मिलित किए जाने के प्रयोजन के लिए उनका विभाजन उत्पादन सुविधाओं की सामान्य क्षमता पर आधारित होगा। सामान्य क्षमता से वह उत्पादन अभिप्रेत है जिसके योजनाबद्ध अनुरक्षण के परिणामस्वरूप क्षमता में कमी को हिसाब में लेते हुए सामान्य परिस्थितियों के अधीन अवधियों या ऋतुओं की औसत संख्या में पूरा किए जाने की संभावना है। उत्पादन के वास्तविक स्तर का प्रयोग तब किया जाएगा जब वह सामान्य क्षमता के सदृश हो। नियत उत्पादन ऊपरिखर्च की रकम में, जिन्हें उत्पादन की प्रत्येक इकाई में विभाजित किया गया है, कम उत्पादन या निष्क्रिय इकाई के परिणामस्वरूप वृद्धि नहीं की जाएगी। विभाजित न किए गए ऊपरिखर्च उस अवधि के, जिसमें वे उपगत किए जाते हैं, खर्च के रूप में मान्य होंगे। अप्रसामान्य रूप से उच्च उत्पादन की अवधियों में, उत्पादन की प्रत्येक इकाई में विभाजित नियत उत्पादन के ऊपरिखर्चों की रकम को कम कर दिया जाता है जिससे कि सूचीबद्ध सामग्री के खर्च से अधिक न मापा जा सके। परिवर्तनीय उत्पादन ऊपरिखर्चों को उत्पादन सुविधाओं के वास्तविक प्रयोग के आधार पर उत्पादन की प्रत्येक इकाई में निर्धारित किया जाएगा।

9. जहां किसी उत्पादन प्रक्रिया के परिणामस्वरूप ऐसे अधिक उत्पाद एक साथ उत्पादित किए जा रहे हों और प्रत्येक उत्पाद के संपरिवर्तन खर्चों का पृथक् रूप से पता नहीं लगाया जा सकता हो वहां खर्चों को युक्तियुक्त और संगत आधार पर उत्पादों के बीच विभाजित किया जाएगा। जहां उपोत्पाद, स्क्रेप या अपशिष्ट सामग्रियां महत्वहीन हैं वहां उन्हें शुद्ध वसूली योग्य मूल्य पर मापा जाएगा और मूल्य की मुख्य उत्पाद की लागत में से कटौती की जाएगी।

अन्य खर्च

10. अन्य खर्चों को सूचीबद्ध सामग्री की लागत में केवल उस सीमा तक सम्मिलित किया जाएगा जिस तक के सूचीबद्ध सामग्रियों को उनके वर्तमान अवस्थान और स्थिति में लाने में उपगत किए जाते हैं।

11. ब्याज और उधार लेने संबंधी अन्य खर्चों को सूचीबद्ध सामग्री के खर्चों में तब तक सम्मिलित नहीं किया जाएगा जब तक कि वे ब्याज को उधार लेने के खर्च संबंधी आय संगणना और प्रकटन मानक में यथा विनिर्दिष्ट लागत के एक संघटक के रूप में मान्य ठहराने के मापदंड को पूरा न करते हों।

सूचीबद्ध सामग्रियों की लागत से अपवर्जन

12. सूचीबद्ध सामग्री की लागत का पैरा 4 से पैरा 11 के अनुसार अवधारण करने में निम्नलिखित खर्चों को अपवर्जित किया जाएगा और उस अवधि के खर्च माना जाएगा, जिसमें वे उपगत किए जाते हैं, अर्थात:-

- (क) अपशिष्ट सामग्रियों, श्रम और अन्य उत्पादन संबंधी खर्चों की अप्रसामान्य रकमें;
- (ख) भंडारण खर्च, जब तक वे खर्च आगे के उत्पादन के प्रक्रम के पूर्व की उत्पादन प्रक्रिया में आवश्यक न हों
- (ग) प्रशासनिक ऊपरिखर्च, जो सूचीबद्ध सामग्री को उसके वर्तमान अवस्थान और स्थिति में लाने में न किए गए हों
- (घ) विक्रय संबंध खर्च।

लागत सूत्र

13. मदों की सूची की लागत

- (i) उन मदों की, जो साधारणतया परस्पर आदान-प्रदानशील नहीं हैं और
- (ii) विनिर्दिष्ट परियोजनाओं के लिए उत्पादित और पृथक्कृत माल या सेवाओं की सूचीबद्ध सामग्री की लागत उनके व्यष्टिक खर्चों की विनिर्दिष्ट पहचान से समनुदिष्ट की जाएगी।

14. “लागत की विनिर्दिष्ट पहचान” से वे विनिर्दिष्ट खर्च अभिप्रेत हैं जो सूचीबद्ध सामग्री की पहचान की गई मदों के प्रति हुए पाए गए हैं।

15. जहां सूचीबद्ध सामग्री की ऐसी अनेक मदें हैं जो साधारणतया परस्पर आदान-प्रदानशील हैं, वहां खर्चों की विनिर्दिष्ट पहचान नहीं की जाएगी।

प्रथम आवक प्रथम जावक तथा भारित औसत लागत सूत्र

16. उस सूचीबद्ध सामग्री से, जिसके संबंध में पैरा 13 में उल्लेख है, भिन्न सूचीबद्ध सामग्री की लागत प्रथम आवक प्रथम जावक तथा भारित औसत लागत सूत्र का प्रयोग करके समनुदिष्ट की जाएगी। जिस सूत्र का प्रयोग किया गया है वहां सूचीबद्ध सामग्री की मदों को उनके वर्तमान अवस्थान और स्थिति में लाने में उपगत खर्च का सुस्पष्ट संभाव्य अनुमान को दर्शाता है।

17. प्रथम आवक प्रथम जावक सूत्र से यह उपधारित होता है कि सूचीबद्ध सामग्री की वे मदें, जो प्रथमतः क्रय या उत्पादित की गई हैं, प्रथमतः उपभोग या विक्रीत की जाती हैं और तत्पश्चात् उस अवधि के अंत में सूची में शेष रह गई मदें वे हैं जो अभी हाल ही में क्रय या उत्पादित की गई हैं। भारित औसत लागत सूत्र के अधीन प्रत्येक मद की लागत का अवधारण किसी अवधि के आरंभ में वैसी ही मदों की लागत और उस अवधि के दौरान क्रय की गई या उत्पादित वैसी ही मदों की लागत के भारित औसत के आधार पर किया जाएगा। उस औसत का परिकलन, अवधिक या जैसे ही भेजी गई प्रत्येक अतिरिक्त सामग्री प्राप्त होती है, आधार पर परिस्थितियों पर निर्भर करते हुए, किया जाएगा।

लागत मापने की तकनीक

18. (1) मालसूची की लागत मापने की तकनीक जैसे कि मानक लागत विधि, या खुदरा विधि का प्रयोग तब सुविधानुसार किया जा सकता है जब परिणाम वास्तविक लागत के लगभग आता है। मानक लागत में वस्तु की खपत एवं आपूर्ति, श्रम, क्षमता और शक्ति के उपयोग के सामान्य स्तर पर ध्यान दिया गया होता है। इनकी नियमित रूप से समीक्षा की जाती है और यदि वर्तमान परिस्थितियों के कारण जरूरी होता है तो आगे संशोधन भी किया जाता है।

18. (2) खुदरा पद्धति का प्रयोग खुदरा व्यापार में तेजी से बदलने वाली उन मदों की लंबी मालसूची का मापन करने में प्रयोग किया जा सकता है जिनका लाभांश भी इसी प्रकार हो और जिसके लिए लागत की अन्य विधियों का प्रयोग संभव न हो। माल सूची के लागत की गणना इसके विक्री मूल्य में से यथोचित प्रतिशत सकल लाभांश को घटाकर किया जाता है। इस प्रकार प्रयोग किए गये प्रतिशत में मालसूची पर भी विचार किया जाता है जिसे इसके मूल विक्री मूल्य से नीचे रखा जाता है। प्रत्येक खुदरा विभाग के लिए औसत प्रतिशत का प्रयोग किया जाता है।

शुद्ध वसूली योग्य मूल्य

19. सूचीबद्ध सामग्री के मूल्य को मद-वार-मद आधार पर उसके शुद्ध वसूली योग्य मूल्य तक अवलिखित किया जाएगा। जहां उसी उत्पाद पंक्ति से संबंधित “सूचीबद्ध सामग्री की मदों” के वही प्रयोजन और अंत्य उपयोग हैं और जिनका भौगोलिक क्षेत्र में उत्पादन और विपणन किया जाता है और जिनका व्यवहार्य रूप से उसी उत्पाद पंक्ति की अन्य मदों से पृथक्कृत मूल्यांकन नहीं किया जा सकता है, वहां ऐसी सूचीबद्ध सामग्रियों को एक साथ सामूहित किया जाएगा और उसे संकलित आधार पर शुद्ध वसूली योग्य मूल्य तक अवलिखित किया जाएगा।

20. शुद्ध वसूली योग्य मूल्य मूल्यांकन के समय उपलब्ध अति विश्वसनीय साक्ष्य पर आधारित होगा। शुद्ध वसूली योग्य मूल्य के प्राक्कलनों में उस प्रयोजन को भी विचार में लिया जाएगा, जिसके लिए सूचीबद्ध सामग्री धारित की गई है। प्राक्कलनों में कीमत के उन उतार-चढ़ावों को या पूर्व वर्ष की समाप्ति के पश्चात् होने वाली घटनाओं से प्रत्यक्षतः संबंधित लागत को उस सीमा तक, जहां तक उन घटनाओं से पूर्व वर्ष के अंतिम दिन को विद्यमान स्थितियों की पुष्टि होती है, विचार में लिया जाएगा।

21. सूचीबद्ध सामग्री के उत्पादन के प्रयोग के लिए धारित की गई सामग्रियों और अन्य प्रदायों को लागत से नीचे वहां अवलिखित नहीं किया जाएगा, जहां उन तैयार उत्पादों को, जिनमें उन्हें सम्मिलित किया गया है, लागत मूल्य पर या लागत से अधिक मूल्य पर विक्रीत किए जाने की संभावना है। जहां सामग्रियों की कीमत में कमी आई है और यह अनुमानित है कि

तैयार उत्पादों की लागत शुद्ध वसूली योग्य मूल से अधिक जाएगी, वहां सामग्रियों की लागत को उस शुद्ध वसूली योग्य मूल्य तक अवलिखित किया जाएगा, जो कि उन सामग्रियों की प्रतिस्थानी लागत होगी।

आरंभिक सूचीबद्ध सामग्री का मूल्य

22. पूर्व वर्ष के आरंभ पर सूचीबद्ध सामग्री का मूल्य

- (i) कारबार के प्रारंभ के दिन को, जब कारबार पूर्व वर्ष के दौरान प्रारंभ हुआ है, उपलब्ध सूचीबद्ध सामग्री, यदि कोई हो, की लागत होगा
- (ii) किसी अन्य दशा में, ठीक पूर्ववर्ती पूर्व वर्ष के समाप्त होने पर सूचीबद्ध सामग्री का मूल्य होगा।

सूचीबद्धमाल के मूल्यांकन की पद्धति में परिवर्तन

23. किसी व्यक्ति द्वारा किसी पूर्व वर्ष में अंगीकृत सूचीबद्ध सामग्रियों के मूल्यांकन की पद्धति में युक्तियुक्त कारण के बिना परिवर्तन नहीं किया जाएगा।

कतिपय विघटनों की दशा में सूचीबद्ध सामग्री का मूल्यांकन

24. किसी फर्म या व्यक्ति-संगम या व्यक्ति-निकाय के विघटन की दशा में, इस बात के होते हुए भी कि कारबार बंद हुआ है अथवा नहीं, विघटन की तारीख को सूचीबद्ध सामग्री का मूल्य शुद्ध वसूली योग्य मूल्य पर लगाया जाएगा।

संक्रमणकालीन उपबंध

25. ब्याज और अन्य उधार लेने संबंधी खर्च का, जो ब्याज को, पैरा 11 के अनुसार, लागत के एक संघटक के रूप में मान्य करने के मापदंडों को पूरा नहीं करते हैं, किंतु जिन्हें 1 अप्रैल, 2016 को आरंभिक सूचीबद्ध सामग्री की लागत में सम्मिलित किया गया है, 1 अप्रैल, 2016 को या उसके पश्चात आरंभ होने वाले पूर्व वर्ष की समाप्ति पर मूल्यांकन के लिए ऐसी सूचीबद्ध सामग्री की लागत का अवधारण करने में हिसाब में लिया जाएगा, यदि ऐसी सूचीबद्ध सामग्री 1 अप्रैल, 2016 को या उसके पश्चात आरंभ होने वाले पूर्व वर्ष की समाप्ति पर सूचीबद्ध सामग्री का भाग बनी रहती है।

प्रकटन

26. निम्नलिखित पहलुओं को प्रकट किया जाएगा, अर्थात:-

(क) सूचीबद्ध सामग्रियों को जिनके अंतर्गत प्रयुक्त सूत्र की लागत भी है, मापने में अंगीकृत लेखांकन नीतियां। जहां लागत के पैमाने के रूप में मानक लागत का प्रयोग किया गया है, ऐसी सूचीबद्ध सामग्री का ब्यौरा और इस तथ्य की पूर्ण की मानक लागत वास्तविक लागत के बराबर है; और

(ख) सूचीबद्ध सामग्रियों की कुल धारित रकम और किसी व्यक्ति के प्रति उनके समुचित वर्गीकरण।

ग. सन्निर्माण संविदाओं से संबंधित आय संगणना और प्रकटन मानक।

उद्देशिका

यह आय संगणना और प्रकटन मानक “कारबार या वृत्ति के लाभ और अभिलाभ” अथवा “अन्य स्रोतों से आय” शीर्ष के अधीन प्रभार्य आय की संगणना के लिए, न कि बहियों के बनाए रखे जाने के प्रयोजन के लिए, लागू होता है।

आय-कर अधिनियम, 1961 (‘अधिनियम’) और इस आय संगणना और प्रकटन मानक के उपबंधों के बीच विरोध की दशा में, अधिनियम के उपबंध उस सीमा तक अभिभावी होंगे।

व्याप्ति

1. यह आय संगणना और प्रकटन मानक किसी संविदाकार की सन्निर्माण संविदा के लिए आय का अवधारण करने में लागू किया जाना चाहिए।

परिभाषाएं

2. (1) इस आय संगणना और प्रकटन मानक में निम्नलिखित पद, उनके विनिर्दिष्ट अर्थ रूप में, प्रयुक्त किए गए हैं:

(क) 'सन्निर्माण संविदा' एक ऐसी संविदा है, जो ऐसी किसी आस्ति या ऐसी आस्तियों के समुच्चय के सन्निर्माण के लिए, जो उनके डिजाइन, प्रौद्योगिकी और कृत्य या उनके अंतिम प्रयोजन या प्रयोग के निबंधनों के अनुसार निकटतम रूप से अंतरसंबद्ध या अंतर निर्भर है, विनिर्दिष्ट रूप से बातचीत से तय की जाती है और इसके अंतर्गत निम्नलिखित भी है:

(i) उन सेवाओं को, जो प्रत्यक्षतः आस्ति के सन्निर्माण से संबंधित हैं, उदाहरणार्थ परियोजना प्रबंधकों और वास्तुविदों को प्रदान की जाने वाली सेवाओं के लिए संविदा;

(ii) आस्तियों को नष्ट करने या उन्हें प्रत्यावर्तित करने के लिए तथा आस्तियों को ध्वंसित करने के बाद पर्यावरण के पुनःस्थापना के लिए संविदा;

(ख) 'नियत कीमत संविदा' ऐसी सन्निर्माण संविदा में है जिसमें संविदाकारक नियत संविदा कीमत के लिए या उत्पादन की प्रति इकाई नियत दर पर करार करता है, जो लागत वृद्धि खंडों के अध्यक्षीन हो सकेगी;

(ग) 'लागत धन संविदा' ऐसी सन्निर्माण संविदा है जिसमें संविदाकार की अनुज्ञेय या अन्य निश्चित खर्चों के लिए धन इन खर्चों या किसी नियत फीस पर अधिक मूल्य निर्धारित करने के लिए प्रतिपूर्ति की जाएगी;

(घ) 'प्रतिधारण' प्रक्रमण बिलों में की वे रकमें हैं, जिनका संदाय ऐसी रकमों के संदाय से संबंधित संविदा में विनिर्दिष्ट शर्तों को पूरा किए जाने तक या त्रुटियों को सुधारे जाने तक नहीं कर दिया जाता है;

(ङ) प्रक्रमण बिल वे रकमें हैं जिनका किसी संविदा पर किए गए कार्य के लिए बिल बनाया गया है, चाहे ग्राहक द्वारा उसका संदाय किया गया है अथवा नहीं;

(च) 'अग्रिम' वे रकमें हैं जो संविदाकर द्वारा कार्य के किए जाने के पूर्व प्राप्त की जाती हैं।

2.(2) ऐसे शब्दों और पदों के, जो आय संगणना और प्रकटन मानक में प्रयुक्त हैं और परिभाषित नहीं हैं, किंतु अधिनियम में परिभाषित हैं, वही अर्थ होंगे जो उस अधिनियम में उनके हैं।

3. सन्निर्माण संविदा किसी एकल आस्ति के सन्निर्माण के लिए बातचीत द्वारा तय की जा सकेगी। सन्निर्माण संविदा उन अनेक आस्तियों के सन्निर्माण के लिए भी हो सकेगी जो उनके डिजाइन, प्रौद्योगिकी और कृत्य या उनके अंतिम प्रयोजन या प्रयोग के निबंधनों के अनुसार निकटतम रूप से अंतरसंबद्ध या अंतरनिर्भर हैं।

4. सन्निर्माण संविदाएं अनेक प्रकार से विरचित की जाती हैं, जिन्हें, इस आय संगणना और प्रकटन मानक के प्रयोजनों के लिए, नियत कीमत संविदाओं और लागत धन संविदाओं के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। कुछ सन्निर्माण संविदाओं में नियत कीमत संविदा और लागत धन संविदा, उदाहरणार्थ लागत धन संविदा में करार पाई गई अधिकतम कीमत, दोनों ही विशिष्टताएं अंतर्विष्ट हो सकती हैं।

सन्निर्माण संविदाओं का संयोजन या विच्छेदन

5. इस आय संगणना और प्रकटन मानक की अपेक्षाओं को प्रत्येक सन्निर्माण संविदा के प्रति सिवाय उस दशा के जैस इसमें के पैरा 6, पैरा 7 और पैरा 8 में उपबंधित है, पृथक्ता लागू किया जाएगा। किसी संविदा या संविदाओं के समूह के सार को प्रतिबिम्बित करने के लिए, जहां यह आवश्यक हो, आय संगणना और प्रकटन मानक को एकल संविदा या संविदाओं के समूह के एक साथ पृथक्तया पहचान योग्य संघटकों के प्रति लागू किया जाना चाहिए।

6. जहां किसी संविदा में अनेक आस्तियां सम्मिलित हों, वहां प्रत्येक आस्ति के सन्निर्माण को तब पृथक् सन्निर्माण संविदा माना जाना चाहिए, जब:-

- (क) प्रत्येक आस्ति के लिए पृथक प्रस्थापनाएं प्रस्तुत की गई हों;
- (ख) प्रत्येक आस्ति पृथक बातचीत के अधीन तय की गई हो और संविदाकार तथा ग्राहक ऐसी प्रत्येक आस्ति से संबंधित संविदा को स्वीकार करने या उसे नामंजूर करने में समर्थ हो; और
- (ग) प्रत्येक आस्ति के खर्चों और आमदनियों का पता लगाया जा सकता है।

7. संविदाओं के समूह को, चाहे वह एकल ग्राहक के साथ की गई हो या अनेक ग्राहकों के साथ की गई हो, एकल सन्निर्माण संविदा तब माना जाना चाहिए, जब:-

- (क) संविदाओं के समूह को, एकल पैकेज के रूप में बातचीत द्वारा तय किया जा सकता हो;
- (ख) संविदाएं निकटतम रूप से इतनी अंतरसंबद्ध हों कि वे वस्तुतः एकल परियोजना का, समग्र मार्जिन सहित, भाग हो; और
- (ग) संविदाओं को समवर्ती रूप से या सतत् अनुक्रम में किया जाता है।

8. जब किसी संविदा में ग्राहक के विकल्प पर किसी अतिरिक्त आस्ति के सन्निर्माण का उपबंध है जहां उसका किसी अतिरिक्त आस्ति के सन्निर्माण को सम्मिलित करने के लिए संशोधन किया जाता है, वहां अतिरिक्त आस्ति के सन्निर्माण को एक पृथक सन्निर्माण आस्ति तब माना जाना चाहिए जब-

- (क) वह आस्ति मूल संविदा में सम्मिलित आस्ति या आस्तियों से डिजाइन, प्रौद्योगिकी या में, महत्वपूर्ण रूप से भिन्न हो; या
- (ख) आस्ति की कीमत को, मूल संविदा कीमत को विचार में लिए बिना बातचीत द्वारा तय किया जा सकता हो।

संविदा आमदनी

9. संविदा आमदनी को तब मान्य किया जाएगा जब उसके अंतिम संग्रहण की युक्तियुक्त निश्चितता हो।

10. संविदा आमदनी में निम्नलिखित समाविष्ट होंगे:-

- (क) संविदा में करार पाई गई आमदनी की आरंभिक रकम, जिसके अंतर्गत प्रतिधारण भी हैं; और
- (ख) संविदा कार्य, दावों और प्रोत्साहन संबंधी संदायों में:-
 - (i) उस सीमा तक घट-बढ़, कि इस बात की अधिसंभावना है कि उसके परिणामस्वरूप आमदनी होगी; और
 - (ii) ऐसी घट-बढ़ को विश्वसनीय रूप में मापा जा सकता हो।

11. जहां संविदा आमदनी को, जिसे पहले से आय के रूप में मान्य किया गया है, बाद में लेखाबहियों से इस रूप में अवलिखित कर दिया जाता है कि वे असंग्रहणीय हैं, वहां उसे खर्च के रूप में मान्य किया जाएगा, न कि संविदा आमदनी की रकम के समायोजन के रूप में।

संविदा खर्च

12. संविदा खर्च में निम्नलिखित समाविष्ट होंगे,

- (क) वे खर्च, जो प्रत्यक्ष रूप से विनिर्दिष्ट संविदा से संबंधित हैं
- (ख) वे खर्च, जो साधारणतया संविदा के क्रियाकलाप के कारण हुए माने जा सकते हैं और जिन्हें संविदा के प्रति विभाजित किया जा सकता है।
- (ग) ऐसे अन्य खर्च जो विनिर्दिष्ट रूप से संविदा के निबंधनों के अधीन ग्राहक से प्रभार्य हैं, और
- (घ) उधार लेने संबंधी खर्चों से संबंधित आय संगणना और प्रकटन मानक के अनुसार उधार लेने संबंधी विभाजित खर्च।

इस खर्चों को किसी आनुषंगिक आय से, जो उस ब्याज, उन लाभांशों या पूंजी अभिलाभों की प्रकृति की नहीं है और जो संविदा आमदनी में सम्मिलित नहीं की गई है, कम किया जाएगा।

13. ऐसे खर्चों को, जिन्हें किसी संविदा क्रियाकलाप के कारण हुआ नहीं माना जा सकता है या जिन्हें किसी संविदा के संबंध में विभाजित नहीं किया जा सकता है, सन्निर्माण संविदा के खर्चों से अपवर्जित किया जाएगा।

14. संविदा खर्चों के अंतर्गत संविदा प्राप्त करने की तारीख से उस संविदा के पूरा होने तक की अवधि के लिए किसी संविदा के कारण हुए माने जा सकने वाले खर्च भी आते हैं। वे खर्च भी, जो संविदा प्राप्त करने में उपगत किए जाते हैं, संविदा के खर्चों के भागरूप सम्मिलित किए जाते हैं, परंतु यह तब जब कि-

(क) उसका पृथक् रूप से पता लगाया जा सकता हो; और

(ख) इस बात की अधिसंभावना हो कि संविदा अभिप्राप्त कर ली जाएगी।

जब किसी संविदा को प्राप्त करने में उपगत खर्च, उस अवधि में, जिसमें वे उपगत किए जाते हैं, किसी व्यय के रूप में मान्य हैं तो उन्हें संविदा खर्चों में तब सम्मिलित नहीं किया जाता है जब संविदा किसी पश्चातवर्ती अवधि में अभिप्राप्त की जाती है।

15. संविदा के वे खर्च, जो संविदा में के भावी क्रियाकलाप से संबंधित हों, आस्ति के रूप में मान्य हैं। ऐसे खर्च से ऐसी रकम निरूपित होती है जो ग्राहक से शोध्य है और जिन्हें प्रगतिशील संविदा कार्य के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।

संविदा आमदनी और व्ययों की मान्यता

16. संविदा आमदनी और संविदा खर्च, जो सन्निर्माण संविदा से जुड़े हुए हों, रिपोर्ट किए जाने की तारीख को संविदा क्रियाकलाप के पूरा होने के प्रति क्रमशः निर्देश करके आमदनी और व्ययों के रूप में मान्य किए जाने चाहिए।

17. किसी संविदा के पूरा होने के प्रक्रम के प्रति निर्देश से आमदनी और व्ययों की मान्यता को कार्य पूरा होने की पद्धति की प्रतिशतता के रूप में निर्दिष्ट किया जाता है। इस पद्धति के अधीन संविदा आमदनी को कार्य पूरा होने के प्रक्रम पर पहुंचने में उपगत संविदा खर्चों से जोड़ा जाता है जिसके परिणामस्वरूप ऐसी आमदनी, व्ययों और लाभ का पता चलता है जिसे कि पूरे हो गए कार्य के अनुपात के कारण हुआ माना जा सकता है।

18. किसी संविदा के पूरा होने के प्रक्रम का अवधारण-

(क) उस अनुपात के प्रति निर्देश करके किया जाएगा कि रिपोर्ट किए जाने की तारीख तक किए गए कार्य के लिए उपगत संविदा खर्च अनुमानित कुल संविदा खर्च के संबंधित है; या

(ख) किए गए कार्य के सर्वेक्षण के प्रति प्रतिनिर्देश करके किया जाएगा; या

(ग) संविदा संकर्म के वास्तविक अनुपात के पूरा होने के प्रति निर्देश करके किया जाएगा।

ग्राहक से प्राप्त प्रगति-संदाय और अग्रिम किसी संविदा के पूरा होने के प्रक्रम के अवधारक नहीं हो सकते हैं।

19. जब संविदा के पूरा होने के प्रक्रम को रिपोर्ट किए जाने की तारीख तक उपगत संविदा खर्चों के प्रति निर्देश करके अवधारित किया जाता है, तो केवल उन्हीं संविदा खर्चों को, जो किए गए कार्य को प्रतिबिंबित करते हैं, रिपोर्ट किए जाने की तारीख तक उपगत खर्चों में सम्मिलित किया जाता है। वे संविदा खर्च, जिन्हें अपवर्जित किया जाता है निम्नलिखित हैं-

(क) संविदा खर्च जो संविदा के संबंध में भावी क्रियाकलाप के संबंध में हैं; या

(ख) उप संविदा के अधीन किए गए कार्य के लिए अग्रिम में उप संविदाकारों के किए गए संदाय।

20. किसी संविदा के आरंभिक प्रक्रमों के दौरान, जहां संविदा के परिणाम का प्राक्कलन विश्वसनीय रूप से नहीं किया जा सकता, संविदा आमदनी केवल उपगत खर्चों की सीमा तक मान्य होती है। किसी संविदा के आरंभिक प्रक्रम को कार्य पूरा होने के प्रक्रम के पच्चीस प्रतिशत से परे नहीं बढ़ाया जाएगा।

प्राक्कलनों में परिवर्तन

21. कार्य पूरा होने की पद्धति की प्रतिशतता प्रत्येक पूर्व वर्ष में संविदा आमदनी के वर्तमान प्राक्कलनों और संविदा खर्चों को संचयी आधार पर लागू किया जाता है। जहां प्राक्कलनों में कोई परिवर्तन है तो परिवर्तित प्राक्कलनों का उस अवधि में, जिसमें परिवर्तन किया जाता है, और पश्चातवर्ती अवधियों में आमदनी और व्ययों की रकम का अवधारण करने में प्रयोग किया जाएगा।

संक्रमणकालीन उपबंध

22.(1) संविदा आमदनी एवं संविदा खर्च, जो निर्माण संविदा से जुड़े हुए हैं, जो 1 अप्रैल, 2016 को या उसके बाद प्रारंभ हुए हैं, वे इस मानक उपबंधों के अनुसार मान्य होंगे।

22.(2) वह संविदा आमदनी एवं संविदा खर्च जो विनिर्माण संविदा से जुड़े हुए हैं जो 31 मार्च, 2016 को या उसके पहले प्रारंभ हुए हैं। किंतु उक्त तारीख तक पूरे नहीं हुए वे 1 अप्रैल, 2016 को किंतु उक्त तारीख तक पूरे नहीं हुए वे 1 अप्रैल, 2016 को प्रारंभ होने वाले पूर्व वर्ष से पहले उस व्यक्ति द्वारा नियमित रूप से अनुपालन की गई पद्धति के आधार पर मान्य होंगे।

प्रकटन

23. कोई व्यक्ति-प्रकट करेगा

- (क) उस संविदा आमदनी को, जो उस अवधि में आमदनी के रूप में मान्य है, की रकम को; और
- (ख) प्रगतिशील संविदाओं के पूरा होने के प्रक्रम का अवधारण करने में प्रयुक्त पद्धतियों को, प्रकट करेगा।

24. कोई व्यक्ति रिपोर्ट किए जाने की तारीख को प्रगतिशील संविदाओं के लिए निम्नलिखित का प्रकटन करेगा, अर्थात्:-

- (क) उपगत खर्चों की तथा रिपोर्ट किए जाने की तारीख कम मान्य लाभों की (मान्य हानियों कम करके) रकम;
- (ख) प्राप्त अग्रिमों की रकम; और
- (ग) प्रतिधारणों की रकम।

घ. आमदनी मान्यता से संबंधित आय-संगणना और प्रकटन मानक IV

उद्देशिका

यह आय संगणना और प्रकट मानक "कारबार या वृत्ति के लाभ और अभिलाभ" अथावा "अन्य स्रोतों से आय" शीर्ष के अधीन प्रभार्य आय की संगणना के लिए, न कि लेखा बहियों के बनाए रखे जाने के प्रयोजन के लिए, लागू होता है।

आय-कर अधिनियम, 1961(अधिनियम) और इस आय संगणना और प्रकट मानक के उपबंधों के बीच विरोध की दशा में, अधिनियम के उपबंध उस सीमा तक अभिभावी होंगे।

व्याप्ति

1. (1) आय संगणना और प्रकटन मानक किसी व्यक्ति को,--

- (i) माल विक्रय से;
- (ii) सेवाओं के प्रदान किए जाने से;

iii) व्यक्ति के संसाधनों का अन्यो द्वारा उपयोग किए जाने से, जिससे ब्याज, स्वामित्व या लाभांश प्राप्त होता है,

सामान्य क्रियाकलापों के अनुक्रम में उद्भूत आमदनी मान्यता के आधारों के संबंध में है।

1.(2) यह आय संगणना और प्रकटन मानक उस आमदनी मान्यता के पहलुओं से संबंधित नहीं है जिनके संबंध में अन्य आय संगणना और प्रकटन मानकों के अनुसार कार्रवाई की जाती है।

परिभाषाएं

2.(1) आय संगणना और प्रकटन मानक में निम्नलिखित पद, उसके विनिर्दिष्ट अर्थ रूप में, प्रयुक्त किए गए हैं-

(क) 'आमदनी' किसी व्यक्ति के माल के विक्रय से, सेवाएं प्रदान करने से या उस व्यक्ति के उन संसाधनों का जिनसे ब्याज, स्वामित्व या लाभांश प्राप्त होते हैं, अन्यो द्वारा प्रयोग किए जाने से सामान्य क्रियाकलापों के अनुक्रम में उद्भूत नकदी, प्राप्त राशियों या अन्य प्रतिफल का सकल प्रवाह है। किसी अभिकरण नातेदारी में आमदनी कमीशन की न कि नकदी, प्राप्त राशियों या अन्तः प्रतिफल के सकल प्रवाह की रकम है।

2.(2) ऐसे शब्दों और पदों के, जो आय संगणना और प्रकटन मानक में प्रयुक्त हैं और परिभाषित नहीं हैं, किंतु अधिनियम में परिभाषित हैं, वहीं अर्थ होंगे जो अधिनियम में उनके हैं।

माल विक्रय

3. माल के विक्रय से संबंधित कोई संव्यवहार आमदनी तब मान्य होगी जब माल के विक्रेता ने माल में की संपत्ति को एक कीमत के लिए अंतरित कर दिया हो या स्वामित्व के सभी महत्वपूर्ण जोखिमों और इनामों को क्रेता को अंतरित कर दिया हो और विक्रेता अंतरित माल का उस डिग्री तक जो प्रायः स्वामित्व से जुड़ी हुई है, कोई प्रभावी नियंत्रण प्रतिधारित नहीं करता हो। ऐसी स्थिति में, जहां माल में की संपत्ति का अंतरण और स्वामित्व के महत्वपूर्ण जोखिमों और इनामों को अंतरण एक साथ नहीं होता है, वहां आमदनी ऐसी स्थिति में स्वामित्व के महत्वपूर्ण जोखिमों और इनामों का क्रेता को अंतरण किए जाने के समय मान्य होगी।

4. आमदनी तब मान्य होगी जब उसके अंतिम संग्रहण की युक्तियुक्त निश्चितता हो।

5. जहां कीमत में और निर्यात प्रोत्साहनों में वृद्धि किए जाने का कोई दावा किए जाने के समय युक्तियुक्त निश्चितता के साथ अंतिम संग्रहण का निर्धारण करने के सामर्थ्य का अभाव है वहां ऐसे दावे के संबंध में आमदनी के मान्य किए जाने को उस अंतर्वर्तित अनिश्चितता की सीमा तक मुलतवी कर दिया जाएगा।

सेवाएं प्रदान करना

6. पैरा 7 के अध्याधीन सेवा संबंधी संव्यवहारों से आमदनी प्रतिशतता संपूर्ण पद्धति द्वारा मान्य होगी। इस पद्धति के अधीन सेवा संव्यवहार से आमदनी को कार्य पूरा होने के प्रक्रम पर पहुँचने में उपगत सेवा संव्यवहार खर्चों के समय जोड़ा जाता है जिसके परिणामस्वरूप उस आमदनी, व्ययों और लाभ का, जिसे संपूरित कार्य के अनुपात को कारण हुआ माना जा सकता है, निर्धारण होता है। सन्निर्माण संविदा संबंधी आय की संगणना और प्रकटन मानक में इस आधार पर राजस्व को मान्य करना भी अपेक्षित है। उस मानक की अपेक्षाएं हैं। उस मानक की अपेक्षाएं आवश्यक परिवर्तनों सहित आमदनी और किसी सेवा संव्यवहार से जुड़े व्ययों की मान्यता पर लागू होंगी। तथापि जब कभी ये सेवाएं किसी विशिष्ट अवधि में कृत्यों की अनिर्धारित संख्या द्वारा प्रदान की जाती है तो राजस्व का निर्धारण, किसी विशिष्ट अवधि के लिए स्पष्ट रेखा आधार पर किया जाएगा।

7. सेवा संविदाओं से आमदनी को 90 दिन की अवधि से अधिक मान्यता तब तक न दी जाए जब तक कि इस संविदा के अंतर्गत सेवाएं प्रदान करना पूर्ण अथवा वास्तविक रूप से पूर्ण न हो।

ब्याज, स्वामित्व या लाभांश प्राप्त करने के संसाधनों का अन्यो द्वारा उपयोग

8(1). उप पैराग्राफ (2) के अध्याधीन, ब्याज उस समय के आधार पर प्रोदभूत होगा जो बकाया रकम और लागू दर के आधार पर अवधारित किया जाएगा।

- (2) किसी कर, शुल्क उपकर के रिफंड पर व्याज पूर्व वर्ष की आय माना जाएगा जिस वर्ष में ऐसा व्याज प्राप्त हुआ था।
- (3) धारित ऋण प्रतिभूतियों पर बट्टे या प्रीमियम को इस रूप में माना जाएगा कि मानों कि व परिपक्व होने की अवधि पर प्रोदभूत न हो।
9. स्वामित्व सुसंगत करार के निबंधनों के अनुसार प्रोदभूत होंगे और तब तक उस आधार पर मान्य होंगे जब तक कि संव्यवहार के सारतत्व को ध्यान में रखने हुए अन्य पद्धतिबद्ध और युक्तिबद्ध और युक्तिसंगत आधार पर आमदनी का मान्य करना अति उपयुक्त न हो।
10. लाभाशों को अधिनियम के उपबंधों के अनुसार मान्य किया जाता है।

संक्रमणकालीन उपबंध

11. सन्निर्माण संविदा संबंधी आय संगणना और प्रकटन मानक आवश्यक परिवर्तनों सहित 31 मार्च, 2016 को या उसके पूर्व आरंभ किए गए किंतु उक्त तारीख तक पूरे न हुए सेवा संव्यवहार के लिए आमदनी और उससे जुड़े खर्चों को मान्य करने के लिए लागू होगा।
12. पैरा 10 में निर्दिष्ट सेवा संव्यवहार से भिन्न किसी संव्यवहार से, जो 31 मार्च, 2016 को आरंभ किया गया हो किंतु उक्त तारीख तक पूरा न हुआ हो, आमदनी को इस मानक के उपबंधों के अनुसार 1 अप्रैल, 2016 को प्रारंभ होने वाले पूर्व वर्ष के लिए और पश्चातवर्ती पूर्व वर्ष के लिए मान्य किया जाएगा। उक्त संव्यवहार के लिए 1 अप्रैल, 2015 को या उसके पूर्व प्रारंभ होने वाले किसी पूर्व वर्ष के लिए मान्यताप्राप्त आमदनी की रकम को, यदि कोई हो, 1 अप्रैल, 2016 को प्रारंभ होने वाले पूर्व वर्ष और पश्चातवर्ती पूर्व वर्षों के लिए उक्त संव्यवहार के लिए आमदनी को मान्य करने के लिए हिसाब में लिया जाएगा।

प्रकट

13. राजस्व मान्यता के संबंध में निम्नलिखित प्रकटन अर्थात्:-
- (क) माल के विक्रय में अंतर्वलित किसी संव्यवहार में, उसके अंतिम संग्रहण की युक्तियुक्त निश्चितता के अभाव के कारण, पूर्व वर्ष के दौरान आमदनी के रूप में मान्य न की गई कुल रकम का, अनिश्चितता की प्रकृति सहित;
- (ख) पूर्व वर्ष के दौरान आमदनी के रूप में मान्य किए गए सेवा संव्यवहारों से आमदनी की रकम का;
- (ग) प्रगतिशील सेवा संव्यवहारों के पूरा होने के प्रक्रम का अवधारण करने के लिए प्रयुक्त की गई पद्धति का; और
- (घ) पूर्व वर्ष के अंत में प्रगतिशील संव्यवहारों के संबंध में-
- (i) प्राप्त अग्रिमों की रकम का; और
- (ii) प्राप्त अग्रिमों की रकम का; और
- (iii) प्रतिधारणों की रकम का,

प्रकटन किया जाएगा।

ड. मूर्त स्थिर आस्तियों से संबंधित आय संगणना और प्रकटन मानक V

उद्देशिका

यह आय संगणना और प्रकटन मानक 'कारोबार या वृत्ति के लाभ और अभिलाभ' अथवा 'अन्य स्रोतों से आय' शीर्ष के अधीन प्रभार्य आय की संगणना के लिए, न कि लेखा बहियों के बनाए रखे जाने के प्रयोजन के लिए, लागू होता है।

आय-कर अधिनियम, 1961(अधिनियम) और इस आय संगणना और प्रकटन मानक के उपबंधों के बीच विरोध की दशा में, अधिनियम के उपबंध उस सीमा तक अभिभावी होंगे।

व्याप्ति

1. आय संगणना और प्रकटन मानक मूर्त स्थिर आस्तियों के रिरूपण के बारे में है।

परिभाषाएं

2 (1) इस आय संगणना और प्रकटन मानक में निम्नलिखित व्ययों को, उनके विनिर्दिष्ट अर्थ रूप रूप में, प्रयुक्त किया गया है;

(क) 'मूर्त स्थिर आस्ति' ऐसी आस्ति है जो भूमि, भवन, मशीनरी संयंत्र या फर्नीचर हो और जो माल के उत्पादन और संवाएं प्रदान करने के प्रयोजन के लिए प्रयुक्त किए जाने के आशय से धारित की गई है और कारबार के सामान्य अनुक्रम में विक्रय के लिए धारित नहीं की गयी है।

(ख) किसी आस्ति का 'उचित मूल्य' वह रकम है जिसके लिए उस आस्ति का सुपरिचित, इच्छुक पक्षकारों के बीच किए आसन्न निकट संव्यवहार में विनिमय किया जा सकता है।

2. (2) ऐसे शब्दों और पदों के, जो आय संगणना और प्रकटन मानक में प्रयुक्त हैं और परिभाषित नहीं हैं, कि किंतु अधिनियम में परिभाषित हैं, वहीं अर्थ होंगे जो उस अधिनियम में उनके हैं।

मूर्त स्थिर आस्तियों की पहचान

3. पैरा 2 के उपपैरा (1) के खंड (क) की परिभाषा में इस बात का अवधारण करने के मापदंड का उपबंध किया गया है कि क्या किसी मद को मूर्त स्थिर आस्ति के रूप में वर्गीकृत किया जाना चाहिए।

4. अतिरिक्त उपस्कर और सर्विस करने संबंधी उपस्कर को पूंजीकृत किया जाना चाहिए। मशीनरी के फालतू पुर्जों का, जब कभी उपयोगी किया जाए, आमदनी के प्रति भारित किया जाएगा। जब ऐसे फालतू पुर्जों का केवल मूर्त स्थिर आस्ति की मद के संबंध में प्रयोग किया जा सकता हो और उनका प्रयोग नियमित होने की संभावना हो तो उन्हें पूंजीगत किया जाएगा।

वास्तविक लागत के संघटक

5. किसी मूर्त स्थिर आस्ति की वास्तविक लागत में उसकी विक्रय कीमत, आयात शुल्क और अन्य कर, उनको छोड़कर जो बाद में वसूली योग्य हों, और आस्ति को उसके आशयित उपयोग के लिए तैयार करने पर प्रत्यक्ष रूप से हुआ माने जा सकने वाला कोई व्यय समाविष्ट होगा। वास्तविक लागत निकालने में किंही व्यापार बट्टों और रिबटों की कटौती की जाएगी।

6. किसी मूर्त स्थिर आस्ति की लागत में उसके अर्जन या सन्निर्माण के पश्चात-

(i) कीमत समायोजन, शुल्क में परिवर्तन या वैसे ही कारकों के कारण; या

(ii) विदेशी मुद्रा की दरों में परिवर्तनों के प्रभावों पर आय संगणना और प्रकटन मानक में यथाविनिर्दिष्ट विनियम में उतार-चढ़ाव के कारण, परिवर्तन किए जा सकते हैं।

7. प्रशासनिक और अन्य सामान्य उपरिखर्चों को मूर्त स्थिर आस्तियों की लागत से उपवर्जित किया जाना होगा, यदि वे किसी विनिर्दिष्ट मूर्त स्थिर आस्ति से संबंधित नहीं हैं। उन व्ययों को, जो विनिर्दिष्ट रूप से किसी परियोजना के सन्निर्माण या किसी मूर्त स्थिर आस्ति के अर्जन या उसे चालू स्थिति में लाने के कारण हुए माने जा सकते हैं, परियोजना की लागत के भागरूप या मूर्त स्थिर आस्ति की लागत के भागरूप सम्मिलित किया जाएगा।

8. परियोजना के आरंभ किए जाने और चालू किए जाने में उपगत व्यय, जिसके अंतर्गत जांच के लिए चलाने और प्रायोगिक उत्पादन पर उपगत व्यय भी है, को पूंजीगत किया जाएगा। संयंत्र के वाणिज्यिक उत्पादन अर्थात् विक्रय या बेहतर उपयोग के लिए आशयित उत्पादन आरंभ करने के पश्चात उपगत व्यय को आमदनी व्यय माना जाएगा।

स्व-निर्मित मूर्त स्थिर आस्तियां

9. स्वनिर्मित मूर्त स्थिर आस्तियों की वास्तविक लागत निकालने में, वहीं सिद्धांत लागू होंगे जो पैरा 5 से पैरा 8 में वर्णित हैं। सन्निर्माण की लागत, जो प्रत्यक्ष रूप से विनिर्दिष्ट मूर्त स्थिर आस्ति से संबंधित है, और वे खर्च जो साधारणतया सन्निर्माण क्रियाकलाप के कारण हुए माने जा सकते हैं और जिन्हें विनिर्दिष्ट मूर्त स्थिर आस्ति के प्रति विभाजित किया जा सकता है, वास्तविक लागत में सम्मिलित किए जाएंगे। किंहीं आंतरिक लाभों को ऐसे खर्च निकालने में अलग कर दिया जाएगा।

गैर-धनीय प्रतिफल

10. जब किसी मूर्त स्थिर आस्ति को किसी अन्य आस्ति के लिए अदला-बदली में अर्जित किया जाता है, तब इस प्रकार अर्जित मूर्त स्थिर आस्ति का उचित मूल्य उसकी वास्तविक लागत होगा।

11. जब किसी मूर्त स्थिर आस्ति को शेयरों या अन्य प्रतिभूतियों के लिए अदला-बदली में अर्जित किया जाता है, तब इस प्रकार अर्जित मूर्त स्थिर आस्ति का उचित मूल्य उसकी वास्तविक लागत होगा।

सुधार और मरम्मत

12. ऐसा कोई व्यय, जिससे विद्यमान आस्ति से भावी फायदों में उसके कार्यपान के पूर्व में निर्धारित मानक से अधिक वृद्धि होती है, वास्तविक कीमत में जोड़ा जाएगा।

13. किसी विद्यमान मूर्त स्थिर आस्ति के जो पूंजी की प्रकृति की है और जो विद्यमान मूर्त स्थिर आस्ति का अभिन्न भाग हो जाती है, परिवर्धन या विस्तारण की लागत को उसकी वास्तविक लागत में जोड़ा जाएगा। ऐसी संयुक्त रूप से स्वामित्वाधीन मूर्त स्थिर आस्तियों के व्यौरे मूर्त स्थिर आस्ति रजिस्टर में पृथक् रूप से उपदर्शित किए जाएंगे।

विशेष मामलों में मूर्त स्थिर आस्तियों का मूल्यांकन

14. जहां कोई व्यक्ति अन्यो के साथ संयुक्त रूप से मूर्त स्थिर आस्ति का स्वामी है, वहां वास्तविक लागत, संचित अवक्षयण और अवलिखित मूल्य में के अनुपात को उसी प्रकार पूर्णतः स्वामित्वाधीन मूर्त स्थिर आस्तियों के साथ समूहित किया जाएगा।

15. जहां अनेक आस्तियों का एक समेकित कीमत के लिए क्रय किया जाता है, वहां प्रतिफल को एक उचित आधार पर विभिन्न आस्तियों में प्रभाजित किया जाएगा।

संक्रमणकालीन उपबंध

16. मूर्त स्थिर आस्तियों की, जिनका अर्जन या सन्निर्माण 31 मार्च, 2016 को या उसके पूर्व आरंभ हुआ है किंतु उक्त तारीख तक पूरा नहीं हुआ है, वास्तविक लागत, इस मानक के उपबंधों के अनुसार मान्य होगी। वास्तविक लागत की रकम को, यदि कोई हो, जो 1 अप्रैल, 2016 को या उसके पूर्व प्रारंभ होने वाले किसी पूर्व वर्ष के उक्त आस्तियों के संबंध में मान्य है, 1 अप्रैल, 2016 को प्रारंभ होने वाले वर्ष और पश्चातवर्ती पूर्व वर्षों के लिए उक्त आस्तियों की वास्तविक लागत को मान्य करने के लिए हिसाब में लिया जाएगा।

अवक्षयण

17. किसी मूर्त स्थिर आस्ति पर अवक्षयण अधिनियम के उपबंधों के अनुसार संगणित किया जाएगा।

अंतरण

18. किसी मूर्त स्थिर आस्ति के अंतरण पर उद्भूत आय, अधिनियम के उपबंधों के अनुसार संगणित की जाएगी।

प्रकटन

19. मूर्त स्थिर आस्तियों के संबंध में निम्नलिखित प्रकटन, अर्थात्:--

- (क) आस्ति या आस्ति-समूह के वर्णन का;
- (ख) अवक्षयण की दर का;

- (ग) यथास्थिति, वास्तविक लागत या अवलिखित मूल्य का;
- (घ) वर्ष के दौरान, तारीखों सहित परिवर्तनों अथवा कटौतियों का, किसी आस्ति के किसी परिवर्धन की दशा में उसका उपयोग किए जाने की तारीख का, जिसके अंतर्गत—
- (i) केंद्रीय मूल्य वर्धित कर प्रत्यय नियम, 2004 के अधीन दावा किया गया और अनुज्ञात केंद्रीय मूल्य वर्धित कर प्रत्यय का;
- (ii) करेंसी की विनिमय दर में परिवर्तन;
- (iii) सहायिकी या अनुदान या प्रतिपूर्ति का, चाहे वह किसी भी नाम से ज्ञात हो;
- (ङ.) अनुज्ञेय अवक्षयण का; और
- (च) वर्ष के अन्त में अवलिखित मूल्य का, अवक्षयण भी है, प्रकटन किया जाएगा।

च. विदेशी मुद्रा दरों में परिवर्तनों के प्रभावों से संबंधित आय संगणना और प्रकटन मानक VI

उद्देशिका

यह आय संगणना और प्रकटन मानक 'कारोबार या वृत्ति के लाभ और अभिलाभ' अथवा 'अन्य स्रोतों से आय' शीर्ष के अधीन प्रभार्य आय की संगणना के लिए, न कि लेखा बहियों के बनाए रखे जाने के प्रयोजन के लिए, लागू होता है।

आय-कर अधिनियम, 1961(अधिनियम) और इस आय संगणना और प्रकटन मानक के उपबंधों के बीच विरोध की दशा में, अधिनियम के उपबंध उस सीमा तक अभिभावी होंगे।

व्याप्ति

1. यह आय संगणना और प्रकटन मानक निम्नलिखित के संबंध में है:--

- (क) विदेशी करेंसी में के संव्यवहारों का निरूपण;
- (ख) विदेशी संक्रियाओं के वित्तीय विवरणों का रूपांतरण;
- (ग) अग्रिम विनिमय संविदाओं की प्रकृति के विदेशी करेंसी का निरूपण।

परिभाषाएं

2.(1) इस आय संगणना और प्रकटन मानक में निम्नलिखित पदों को, उनके विनिर्दिष्ट अर्थरूप में, प्रयुक्त किया गया है:

- (क) 'औसत दर' किसी अवधि के दौरान विनियम दरों का मध्यमान है;
- (ख) 'बंद दर' यह विनियम दर है जो पूर्ववर्ष के अंतिम दिन को विद्यमान है;
- (ग) 'विनिमय अंतर' वह अंतर है जो किसी विदेशी करेंसी की उतनी ही संख्या में किसी व्यक्ति की रिपोर्ट की गई करेंसी में भिन्न-भिन्न विनियम दरों में रिपोर्ट किए जाने के परिणामस्वरूप हुआ है;
- (घ) 'विनिमय दर' दो करेंसियों के विनिमय का अनुपात है;
- (ङ) 'विदेशी करेंसी' किसी व्यक्ति की रिपोर्ट की गई करेंसी से भिन्न कोई करेंसी है;
- (च) 'किसी व्यक्ति की विदेशी संक्रियाएं' उस व्यक्ति की वह शाखा है, चाहे वह किसी भी नाम से ज्ञात हो, जिसके क्रियाकलाप भारत से भिन्न किसी देश में आधारित हैं या संचालित किए जाते हैं;

(छ) 'विदेशी करेंसी संव्यवहार' एक ऐसा संव्यवहार है जिसका अंकन विदेशी करेंसी में किया जाता है या जिसका परिनिर्धारण विदेशी करेंसी में किया जाना अपेक्षित है, जिसके अंतर्गत वे संव्यवहार भी हैं जो तब उद्भूत होते हैं जब कोई व्यक्ति—

- (i) ऐसे माल या सेवाओं का क्रय या विक्रय करता है जिसकी कीमत विदेशी करेंसी में अंकित की जाती है;
- (ii) ऐसी निधियों को उधार में लेता है या उधार में देता है जब संदेय या प्राप्य राशियां किसी विदेशी करेंसी में अंकित की जाती हैं; या
- (iii) किसी अपालित अग्रिम विनिमय संविदा का एक पक्षकार बनता है; या
- (iv) अन्यथा ऐसी आस्तियों का अर्जन या व्ययन करता है या ऐसे दायित्वों को उपगत कर लेता है या उनका परिनिर्धारण करता है जिसे किसी विदेशी करेंसी में अंकित किया जाता है;
- (ज) 'अग्रिम विनिमय संविदा' से भिन्न-भिन्न करेंसियों की वायदा दर पर विनिमय करने का करार अभिप्रेत है और इसके अंतर्गत कोई विदेशी करेंसी विकल्प संविदा या उसी प्रकृति को कोई अन्य वित्तीय लिखत भी है;
- (झ) 'वायदा दर' दो करेंसियों के किसी विनिर्दिष्ट भावी तारीख को विनिमय करने की विनिर्दिष्ट विनिमय दर है;
- (ञ) भारतीय करेंसी का वही अर्थ होगा जो विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999(1999 का 42) की धारा 2 में उसका है;
- (ट) 'धनीय मदें' वे धारित धनराशि और नियत या अवधारणीय धन राशियों में प्राप्त की जाने वाली आस्तियां या संदत्त किये जाने वाले दायित्व हैं। नकदी, प्राप्त राशियां और संदेय राशियां धनीय मदों के उदाहरण हैं;
- (ठ) 'गैर-धनीय मदें' वे आस्तियां और दायित्व हैं जो धनीय मदों से भिन्न हैं। स्थिर आस्तियां, सूचीबद्ध माल और साधारण शेयरों में विनिधान गैर-धनीय मदों के उदाहरण हैं;
- (ड) 'रिपोर्ट की जाने वाली करेंसी' से भारतीय करेंसी अभिप्रेत है, सिवाय विदेशी संक्रियाओं के जहां इससे उस देश की करेंसी अभिप्रेत है जहां कि संक्रियाएं की जाती हैं।

(2) ऐसे शब्दों और पदों के, जो आय संगणना और प्रकटन मानक में प्रयुक्त हैं और परिभाषित नहीं हैं, किंतु अधिनियम में परिभाषित हैं, वही अर्थ होंगे जो उस अधिनियम में उनके हैं।

विदेशी करेंसी संव्यवहार

आरंभिक मान्यता

3. (1) किसी विदेशी करेंसी संव्यवहार के विदेशी करेंसी की रकम के प्रति संव्यवहार की तारीख रिपोर्ट की जाने वाली करेंसी और विदेशी करेंसी के बीच की विनिमय दर लागू करके रिपोर्ट की जाने वाली करेंसी में, आरंभतः मान्य करने पर, अभिलिखित किया जाएगा।

(2) एक सप्ताह या एक मास के लिए औसत दर को, जो संव्यवहार की तारीख को वास्तविक दर के लगभग है, उस अवधि के दौरान प्रत्येक विदेशी करेंसी में होने वाले सभी संव्यवहारों के लिए प्रयोग किया जा सकता है। यदि विनिमय दर में महत्वपूर्ण रूप से उतार चढ़ाव होता है तो संव्यवहार की तारीख को जो वास्तविक दर है उसका प्रयोग किया जाएगा।

पूर्व वर्ष अंतिम तारीख को संपरिवर्तन-

4. प्रत्येक पूर्व वर्ष की अंतिम तारीख को:-

- (क) विदेशी करेंसी धनीय मदें बंद होने की दर लागू करते हुए रिपोर्ट की गई करेंसी में संपरिवर्तित हो जाएंगी।

(ख) जहां युक्त शुद्धता के साथ बंद होने की दर प्रकट नहीं की गई है वहां रिपोर्ट की गई करेंसी की रकम, जो वसूल की जानी है या जिसका वितरण किया जाना अपेक्षित है, विप्रेषण देश पर निर्बंधन के कारण या अवास्तविक अंतिम दर होने के कारण और करेंसी के विनियम को प्रभावी करना संभव नहीं है वहां सुसंगत धनीय मद रिपोर्ट की गई करेंसी की रकम पर रिपोर्टित होगी जिसे पूर्व वर्ष की अंतिम तारीख को वसूल किया जाना है या जिसका ऐसी रीति से संवितरण किया जाना अपेक्षित है।

(ग) किसी विदेशी करेंसी की गैर धनीय मदें, संव्यवहार की तारीख को विनियम दर का उपभोग करते हुए रिपोर्ट की गई करेंसी में संपरिवर्तित हो जाएगी।

(घ) गैर वित्तीय मद जो कि मारूसूची में आती हों और जिनको मुख्यतः विदेशी मुद्रा में प्राप्त किया गया हो, के बारे में रिपोर्टिंग करने में विनियम दर का प्रयोग किया जायेगा जोकि ऐसे मूल्य के निर्धारण के समय प्रसारित हो।

विनियम अंतरों की मान्यता-

5. (i) धनीय मदों के संबंध में पूर्व वर्ष के अंतिम दिन को उसके परिनिर्धारण पर या उसके संपरिवर्तन पर उद्भूत विनियम अंतरों को उस पूर्व वर्ष में आय के रूप में या व्यय के रूप की मान्यता दी जाएगी;

(ii) गैर धनीय मदों के संबंध में पूर्व वर्ष के अंतिम दिन को उसके संपरिवर्तन पर उद्भूत विनियम अंतरों को आय के रूप में या व्यय के रूप में मान्यता दी जाएगी।

पैरा 3, पैरा 4 और पैरा 5 के अपवाद

6. पैरा 3, पैरा 4 एवं पैरा 5 में किसी बात के होते हुए भी आरंभिक मान्यता, संपरिवर्तन और विनियम अंतर की मान्यता, यथास्थिति, अधिनियम की धारा 43क या आयकर नियम, 1962 के नियम 115 के उपबंधों के अध्यक्षीन होगी।

विदेशी प्रचालनों का वित्तीय विवरण

7. यदि विदेशी प्रचालनों का संव्यवहार व्यक्ति के स्वयं के हों तो इन विदेशी प्रचालनों के वित्तीय विवरणों का अनुवाद पैराग्राफ 3 से 6 में दिये गये सिद्धांतों और प्रक्रियाओं के अनुसार किया जाएगा।

8(1) किसी अग्रिम विनियम संविदा के प्रारंभ पर उद्भूत कोई प्रीमियम या छूट, संविदा की अवधि तक व्यय या आय के रूप में अपाकरण किया जाएगा, ऐसी किसी संविदा पर विनियम अंतर, उस पूर्व वर्ष में, जिसमें विनियम दरों के परिवर्तन होता है, आय के रूप में या व्यय के रूप में मान्यता प्राप्त होंगे। संग्रहण या नवीकरण पर उद्भूत कोई लाभ या हानि पूर्व वर्ष के लिए आय के रूप में या व्यय के रूप में मान्यता प्राप्त होंगे।

(2) उपपैरा (1) के उपबंध संविदा को लागू होंगे, परंतु तब:-

(क) जब संविदा व्यापार या सट्टा संबंधी प्रयोजनों के लिए आशयित न हो; और

(ख) जब संविदा, संव्यवहार के परिनिर्धारण की तारीख पर अपेक्षित या उपलब्ध रिपोर्ट की गई करेंसी की रकम को सिद्ध करने के लिए की गई है।

(3) उपपैरा (1) के उपबंध ऐसी संविदा को लागू नहीं होंगे जो किसी फर्म की प्रतिबद्धता के विदेशी करेंसी जोखिम को रोकने या उच्च स्तरीय संभाव्य पूर्वानुमानित संव्यवहार के लिए की गई है। इस प्रयोजन के लिए फर्म की प्रतिबद्धता के अंतर्गत पूर्व वर्ष के अंत में विद्यमान आस्तियाँ और दायित्व सम्मिलित नहीं होंगे।

(4) ऐसा प्रीमियम या छूट की, जो संविदा से उद्भूत हुई है, संविदा के प्रारंभ की तारीख को विनियम दर और संविदा में विनिर्दिष्ट अग्रिम दर के बीच के अंतर द्वारा मापी जाएगी।

ऐसा संविदा पर विनियम अंतर:-

(क) पूर्व वर्ष के अंतिम दिन को या जहां संव्यवहार का परिनिर्धारण पूर्व वर्ष के दौरान किया जाता है वहां परिनिर्धारण की तारीख को विनिमय दर या रूपांतरित संविदा की विदेशी करेंसी की रकम के बीच का अंतर होगा;

(ख) संविदा के प्रारंभ की तारीख को या पूर्व वर्ष के ठीक पूर्ववर्ती अंतिम दिन को, इनमें से जो भी पश्चावर्ती हो, उसी रूपांतरित विदेशी करेंसी की रकम के बीच का अंतर होगा।

(5) संविदा पर ऐसा प्रीमियम, छूट या विनिमय अंतर को, जो व्यापार या सट्टे के प्रयोजनों के लिए आशियत है या जो किसी फर्म की प्रतिबद्धता के विदेशी करेंसी जोखिम को रोकने के लिए या उच्चतर संभाव्य पूर्वानुमानित संव्यवहार के लिए की गई है, परिनिर्धारण के समय मान्यता दी जाएगी।

संक्रमणकालीन उपबंध

9. (1) 1 अप्रैल, 2016 को या उसके पश्चात् किए गए सभी विदेशी करेंसी संव्यवहारों को इस मानक के उपबंधों के अनुसार मान्यता दी जाएगी।

(2) 1 अप्रैल, 2016 को प्रारंभ होने वाले पूर्व वर्ष के दौरान धनीय मदों या गैर धनीय मदों के या उसके परिनिर्धारण के संबंध में या 1 अप्रैल, 2016 को प्रारंभ होने वाले पूर्व वर्ष के अंतिम दिन को उसके संपरिवर्तन पर उद्भूत विनिमय अंतरों को 31 मार्च, 2016 को समाप्त होने वाले पूर्व वर्ष के प्रथम दिन को, ऐसी किसी मद के लिए, यदि कोई हो, जो उक्त पूर्व वर्ष से अग्रणीत की गई है, मान्यताप्राप्त रकम को हिसाब में लेने के पश्चात् इस मानक के उपबंधों के अनुसार मान्यता दी जाएगी।

(3) 1 अप्रैल, 2016 को प्रारंभ होने वाले पूर्व वर्ष के लिए विदेशी संक्रियाओं के वित्तीय विवरण 31 मार्च, 2016 को समाप्त होने वाले पूर्व वर्ष के प्रथम दिन को, ऐसी किसी मद के लिए, यदि कोई हो, जो उक्त पूर्व वर्ष से अग्रणीत की गई है, मान्यताप्राप्त रकम को हिसाब में लेने के पश्चात् इस मानक में विनिर्दिष्ट सिद्धांतों और प्रक्रियाओं का उपयोग करते हुए रूपांतरित की जाएगी।

(4) 1 अप्रैल, 2016 को विद्यमान या 1 अप्रैल, 2016 को या उसके पश्चात् किए गए सभी अग्रिम विनिमय संविदाओं पर, 31 मार्च, 2016 को या उसके पहले समाप्त होने वाले पूर्व वर्ष के लिए उक्त संविदाओं को बाबत मान्यताप्राप्त आय या व्ययों को, यदि कोई हों, हिसाब में लेते हुए इस मानक के उपबंधों के अनुसार कार्रवाई की जाएगी।

छ. सरकारी अनुदानों संबंधित आय संगणना और प्रकटन मानक VII

उद्देशिका

यह आय संगणना और प्रकटन मानक “कारबार या वृत्ति के लाभ और अभिलाभ” अथवा “अन्य स्रोतों से आय” शीर्ष के अधीन प्रभार्य आय की संगणना के लिए, न कि लेखा बहियों के बनाए रखे जाने के प्रयोजन के लिए, लागू होता है।

आय-कर अधिनियम, 1961 ('अधिनियम') और इस आय संगणना और प्रकटन मानक के उपबंधों के बीच विरोध की दशा में, अधिनियम के उपबंध उस सीमा तक अभिभावी होंगे।

व्याप्ति

1. यह आय संगणना और प्रकट मानक सरकारी अनुदानों के निरूपण के बारे में है। कभी कभी सरकारी अनुदानों को सहायता देना, नकद प्रोत्साहन, शुल्क वापसी, अधित्यजन, छूट, प्रतिपूर्ति आदि जैसे अन्य नामों से जाने जाते हैं।
2. यह आय संगणना और प्रकटन मानक निम्नलिखित के संबंध में नहीं है—

(क) सरकारी अनुदानों से भिन्न सरकारी सहायता; और

(ख) उद्यमों के स्वातंत्र्यवादी सरकार की भागीदारी।

परिभाषाएं

3. (1) आय संगणना और प्रकटन मानक में प्रयुक्त निम्नलिखित पदों को उनके विनिर्दिष्ट अर्थ रूप में प्रकट किया गया है:

(क) "सरकार" से केंद्रीय सरकार, राज्य सरकारें, अभिकरण और उसी प्रकार के अन्य निकायों, चाहे स्थानीय हों, राष्ट्रीय या अंतरराष्ट्रीय हों, के प्रतिनिर्देश है।

(ख) "सरकारी अनुदान" किसी व्यक्ति को कतिपय शर्तों के साथ पूर्व या भावी अनुपालन के लिए नकद या वस्तु के रूप में सरकार द्वारा सहायता प्रदान करना है। इनमें ऐसी सरकारी सहायता के प्रारूपों को, जिनका कोई मूल्य नहीं हो सकता है और सरकार के साथ किए गए उन संव्यवहार को जिन्हें व्यक्ति के सामान्य व्यापार संबंधी संव्यवहारों से सुभिन्न नहीं किया जा सकता है, उपवर्जित किया गया है।

3.(2) उन शब्दों और पद के, जो इस आय संगणना और प्रकटन मानक में प्रयुक्त हैं और परिभाषित नहीं हैं किंतु अधिनियम में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अधिनियम में उसके हैं।

सरकारी अनुदानों की, मान्यता

4.(1) सरकारी अनुदानों को तब तक मान्यता प्रदान नहीं की जाएगी जब तक ऐसा युक्तियुक्त आसवासन न हो कि (i) व्यक्ति; उनसे जुड़ी शर्तों का पालन करता है, और (ii) अनुदानों को पुनरीक्षित कर दिया जाएगा।

4.(2) सरकारी अनुदानों की मान्यता वास्तविक प्राप्ति की तारीख के पश्चात् मुलतवी नहीं की जाएगी।

सरकारी अनुदानों का उपचार

5. जहां सरकारी अनुदान किसी व्यक्ति की अवक्षयी स्थिर आस्ति या आस्तियों के संबंध में है वहां अनुदान की, वास्तविक लागत से या ऐसी आस्तियों के ब्लॉक के जिसका संबंधित आस्तिओं से संबंध संबंध है, निम्नलिखित मूल्य से कटौती की जाएगी।

6. जहां सरकारी अनुदान किसी ऐसे व्यक्ति की, जिससे कतिपय बाध्यताओं को पूरा करने की अपेक्षा है, के अवक्षयी आस्ति या आस्तियों के संबंध में है वहां अनुदान को उसी अवधि के लिए मान्यता दी जाएगी जिस पर ऐसी बाध्यताओं को पूरा करने की लागत आय पर प्रभारित है।

7. जहां सरकारी अनुदान ऐसी प्रकृति का है कि उसको प्रत्यक्ष रूप से अर्जित आस्ति से नहीं जोड़ा जा सकता वहां उतनी रकम की जो कि कुल सरकारी अनुदान से संबंधित है, उसी अनुपात में, जैसा उस आस्ति का उन सभी आस्तिओं में है जिसका बाबत या जिसके संदर्भ में सरकारी अनुदान इस प्रकार प्राप्त किया जाता है, आस्ति की वास्तविक लागत से कटौती की जाएगी या आस्ति समूह के अवलिखित मूल्य से, जिसका आस्ति या आस्तिओं से संबंध है, घटा दी जाएगी।

8. ऐसा सरकारी अनुदान को, किसी पूर्ववर्ति वित्तीय वर्ष में व्ययों या हानियों के लिए प्रतिकर के रूप में या व्यक्ति को संबंधित भावी लागत के बगैर तात्कालिक वित्तीय सहायता देने के प्रयोजनों के लिए प्राप्य है, ऐसी अवधि की आय के रूप में मान्यता दी जाएगी जो उसे प्राप्य हो।

9. पैरा 5, पैरा 6, पैरा 7 और पैरा 8 के अंतर्गत आने वाले सरकारी अनुदानों से भिन्न सरकारी अनुदानों को उन अवधियों के लिए मान्यता प्रदान की जाएगी जो उन्हें ऐसे संबंधित खर्चों के साथ जो प्रतिपूर्ति करने के लिए आशयित है, जोड़ने के लिए आवश्यक है।

10. रियायती दर पर दिए गए गैर धनीय आस्तियों के रूप में सरकारी अनुदानों का उनकी अर्जन लागत के आधार पर लेखा जोखा दिया गया।

सरकारी अनुदानों का प्रतिदाय

11. पैरा 6, पैरा 8 और पैरा 9 में निर्दिष्ट सरकारी अनुदान की बाबत सरकारी अनुदान के संबंध में अतिशेष किसी अव अपाकृत आस्थगित प्रत्यय के विरुद्ध उपयोजित की जाएगी। इस विस्तार तक कि प्रतिदेय रकम किसी ऐसे आस्थगित प्रत्यय से अधिक है या जहां कोई आस्थगित प्रत्यय विद्यमान नहीं है वहां वह रकम लाभ और हानि विवरण को प्रभारित होगी।

12. किसी अवक्षयी स्थिर आस्ति या आस्तियों से संबंधित किसी सरकारी अनुदान की बाबत अप्रतिदेय रकम को अप्रतिदेय रकम के अनुसार आस्तियों के ब्लॉक की वास्तविक लागत या लिखित मूल्य को बढ़ा कर अभिलिखित किया जाएगा। जहाँ आस्ति की वास्तविक लागत में वृद्धि होती है वहाँ पुनरीक्षित वास्तविक लागत या लिखित मूल्य पर अवक्षयण भविष्यलक्षी रूप से विहित दर पर उपलब्ध करवाया जाएगा।

संक्रमणकालीन उपबंध

13. ऐसे सभी सरकारी अनुदानों को, जो 1 अप्रैल, 2016 को या उसके पश्चात् पैरा 4 का मान्यता संबंधी मानदंड पूरा करते हैं, 1 अप्रैल, 2016 को या उसके पश्चात् आरंभ होने वाले पूर्व वर्ष के लिए, 31 मार्च, 2016 को या उसके पश्चात् समाप्त होने वाले किसी पूर्व वर्ष के लिए मान्यता प्राप्त उक्त सरकारी अनुदान की रकम को, यदि कोई हो, हिसाब में लेने के पश्चात् इस मानक के उपबंधों के अनुसार मान्यता दी जाएगी।

प्रकटन

14. सरकारी अनुदानों के संबंध में निम्नलिखित प्रकटन किया जाएगा, अर्थात्--:

(क) पूर्व वर्ष के दौरान आस्ति या आस्तियों की वास्तविक लागत में से या आस्तियों के ब्लॉक के लिखित मूल्य में से कटौती द्वारा पूर्व वर्ष के दौरान मान्यता प्राप्त सरकारी अनुदानों की प्रकृति और सका विस्तार;

(ख) पूर्व वर्ष के दौरान आय के रूप में मान्यता प्राप्त सरकारी अनुदानों की प्रकृति और विस्तार;

(ग) आस्ति या आस्तियों की वास्तविक लागत में से या आस्तियों के ब्लॉक के लिखित मूल्य में से कटौति द्वारा पूर्व वर्ष के दौरान ऐसे सरकारी अनुदानों की प्रकृति और विस्तार जिन्हें मान्यता नहीं दी गई है तथा उसके कारण; और

(घ) पूर्व वर्ष के दौरान आय के रूप में ऐसे सरकारी अनुदानों की प्रकृति और विस्तार जिन्हें मान्यता नहीं दी गई है तथा उसके कारण।

ज. प्रतिभूतियों से संबंधित आय की संगणना और प्रकटन मानक VIII

उद्देशिका

यह आय संगणना और प्रकटन मानक "कारबार या वृत्ति के लाभ और अभिलाभ" अथवा "अन्य स्रोतों से आय" शीर्ष के अधीन प्रभार्य आय की संगणना के लिए, न कि लेखा बहियों के बनाए रखे जाने के प्रयोजन के लिए, लागू होता है।

आय-कर अधिनियम, 1961 ('अधिनियम') और इस आय संगणना और प्रकटन मानक के उपबंधों के बीच विरोध की दशा में, अधिनियम के उपबंध उस सीमा तक अभिभावी होंगे।

भाग-क

व्याप्ति

1. यह आय संगणना और प्रकटन मानक व्यापार स्टॉक के रूप में धारित प्रतिभूतियों के बारे में है।

2. यह आय संगणना और प्रकटन मानक निम्नलिखित के बारे में नहीं है--:

(क) ऐसी प्रतिभूतियों पर, जो राजस्व मान्यता से संबंधित आय संगणना और प्रकटन मानक के अंतर्गत आती है, जो व्याज और लाभांश की मान्यता के आधार है;

(ख) बीमा कारबार में लगे हुए किसी व्यक्ति द्वारा धारित प्रतिभूतियाँ;

(ग) पारस्परिक निधियों, जोखिम पूंजी निधियाँ, बैंक और किसी केन्द्रीय अधिनियम या किसी राज्य अधिनियम के अधीन गठित या कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) या कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) के अधीन इस प्रकार घोषित लोकवित्तीय संस्थाओं द्वारा धारित प्रतिभूतियाँ।

परिभाषाएं

2 (1) इस आय संगणना और प्रकटन मानक के भाग में युक्त निम्नलिखित पदों को उनके विनिर्दिष्ट अर्थरूप में प्रकट किया गया है:

(क) "उचित मूल्य" ऐसी रकम है जिसके लिए जेय, इच्छुक, क्रेता और जेय, इच्छुक विक्रेता के बीच, आसन्निकर संव्यवहार में किसी आस्ति का आदान प्रदान किया जा सकता है।

(ख) "प्रतिभूतियों" का वही अर्थ है जो प्रतिभूति संविदा (विनियम) अधिनियम, 1956 (1956 का 42) की धारा 2 के खंड (ज) में इसके लिए दिया गया है। और इसमें उस कंपनी का हिस्सा भी शामिल होगा जिसमें आम जनता पर्याप्त रूप से सरोकार नहीं रखती अपितु उसमें खंड (ज) के उपखंड (क) में संदर्भित व्युत्पन्न शामिल नहीं होंगे।

3(2) उन शब्दों और पदों के, जो इस आय संगणना और प्रकटन मानक के भाग में प्रयुक्त हैं और पारिभाषित नहीं हैं किन्तु अधिनियम में पारिभाषित हैं वही उसकेउसके हैं अर्थ होंगे जो उस अधिनियम में क्रमशः।

प्रतिभूतियों की मान्यता और आरंभिक माप

4. अर्जन पर किसी प्रतिभूति की मान्यता वास्तविक लागत के आधार पर होगी।

5. किसी प्रतिभूति की वास्तविक लागत में उसका क्रय मूल्य समाविष्ट होगा और इसके अंतर्गत दलाली, फीस कर, शुल्क या उपकर जैसे अर्जन के प्रकार भी सम्मिलित हैं।

6. जहां कोई प्रतिभूति अन्य प्रतिभूतियों के बदले में अर्जित की जाती है वहां इस प्रकार अर्जित प्रतिभूति का उचित मूल्य उसकी वास्तविक लागत होगी।

7. जहां कोई प्रतिभूति किसी अन्य आस्ति के बदले में अर्जित की जाती है वहां इस प्रकार अर्जित प्रतिभूति का उचित मूल्य उसकी वास्तविक लागत होगी।

8. जहां किसी व्याज संबंधी प्रतिभूति के अर्जन के पूर्व असंदत्त व्याज प्रोदभूत होता है और वह उस प्रतिभूति के लिए संदत्त कीमत में सम्मिलित होता है, व्याज की पश्चातवर्ती रसीद, पूर्व अर्जन और पश्च अर्जन अवधियों के मध्य आबंटित की जाती है, वहां व्याज की वास्तविक लागत के आधार पर।

प्रतिभूतियों की पश्चातवर्ती माप

9. किसी पूर्व वर्ष की समाप्ति पर व्यापार स्टाक के रूप में धारित प्रतिभूतियों का उस पूर्व वर्ष की समाप्ति पर शुद्ध वसूली योग्य मूल्य पर इनमें से जो भी कम हो, मूल्य निर्धारित किया जाएगा।

10. पैरा 9 के प्रयोजन के लिए आरंभिक रूप से मान्यता प्राप्त वास्तविक लागत और शुद्ध वसूली योग्य मूल्य की तुलना प्रवर्गवार की जाएगी न कि प्रत्येक वैयक्तिक प्रतिभूति के आधार पर। इस प्रयोजन के ले प्रतिभूतियों को निम्नलिखित प्रवर्गों में वर्गीकृत किया जाएगा, अर्थात्-

(क) शेयर;

(ख) ऋण प्रतिभूतियां;

(ग) संपरिवर्तनीय प्रतिभूतियां; और

(घ) कोई अन्य प्रतिभूतियां जो उपरोक्त के अंतर्गत नहीं आती हैं।

11. पूर्व वर्ष के प्रारंभ पर किसी कारबार के व्यापार स्टाक के रूप में धारित प्रतिभूतियों का मूल्य होगा।

(क) जब कारबार पूर्व वर्ष के दौरान आरंभ किया जाता है वहां कारबार आरंभ करने वाले दिन को उपलब्ध प्रतिभूतियों की लागत होगा, और

(ख) पूर्व किसी अन्य मामले में पूर्व वर्ष के ठीक पहले समाप्त होने पर कारबार की प्रतिभूतियों का मूल्य होगा।

12. पैरा 9, पैरा 10 और पैरा 11 में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी किसी पूर्व वर्ष के अन्त में ऐसी प्रतिभूतियों का जो किसी मान्यता प्राप्त स्टाक एक्सचेंज में सूचीबद्ध नहीं है या सूचीबद्ध है किन्तु समय-समय पर नियमित रूप से किसी मान्यता प्राप्त स्टाक एक्सचेंज में उत्कथित नहीं है; आरंभिक रूप से मान्यता वास्तविक लागत पर मूल्यांकित किया जाएगा।

13. पैरा 9, पैरा 10 और पैरा 11 के प्रयोजनों के लिए जहां आरंभिक रूप से मान्यताप्राप्त वास्तविक लागत विनिर्दिष्ट पहचान के प्रति निर्देश करते हुए सुनिश्चित नहीं की जा सकती वहां ऐसी प्रतिभूति की लागत प्रथम आवक प्रथम जावक पद्धति अथवा भारित औसत लागत सूत्र के आधार पर अवधारित की जाएगी।

भाग-ख

व्याप्ति

1. आय की संगणना और घोषणा के मानदण्ड का यह भाग उन अनुसूचित बैंक या सार्वजनिक वित्तीय संस्थानों के द्वारा धारित प्रतिभूतियों से संबंधित है जिनकी स्थापना केंद्र या राज्य के अधिनियम के अंतर्गत हुई है या जो कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) या कंपनी अधिनियम 2013 (2013 का 18) के अंतर्गत घोषित है।

परिभाषाएं

2.(1) आय संगणना और प्रकटीकरण मानकों के इस हिस्से में विनिर्दिष्ट अर्थ के साथ निम्नलिखित शब्दावली का प्रयोग किया गया है:

(क) “अनुसूचित बैंक” का वही अर्थ होगा जो इसे अधिनियम की धारा 36 की उपधारा (1) के खंड-(vii) (क) के स्पष्टीकरण के खंड (ii) में दिया गया था

(ख) “प्रतिभूतियों” का वही अर्थ होगा जो उसे प्रतिभूति (विनियमावली) अधिनियम 1956 की धारा 2 के खंड (एच) में दिया गया है और उसमें उस कंपनी का हिस्सा शामिल है जिसमें आम जनता पर्याप्त रूप से रूची नहीं लेती।

2(2) “आय संगणना” और प्रकटीकरण मानक के इस भाग में प्रयोग किये गये और परिभाषित नहीं किए गये शब्द और अभिव्यक्तियां जो कि अधिनियम में परिभाषित की गई हैं, का वही अर्थ होगा जो अर्थ उनका अधिनियम में है।

प्रतिभूतियों का वर्गीकरण मान्यता और मापन

3. ‘प्रतिभूतियों का वर्गीकरण मान्यता और मापन, इस बारे में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी मौजूदा दिशा-निर्देशों के अनुसार किया जायेगा तथा उक्त विषय निर्देशों से अधिक राशि की कटौती संबंधी किसी दावे पर विचार किया जायेगा। इस सीमा तक फारवर्ड विनिमय संविदा से संबंधित विदेशी विनमय दरों में परिवर्तन के प्रभाव के संबंध में आय संगणना और प्रकटीकरण मानक vi प्रावधान लागू नहीं होंगे’

झ. उधार देने की लागत संबंधी आय की संगणना और प्रकटन मानक IX

उद्देशिका

यह आय संगणना और प्रकटन मानक “कारबार या वृत्ति के लाभ और अभिलाभ” अथवा “अन्य स्रोतों से आय” शीर्ष के अधीन प्रभार्य आय की संगणना के लिए, न कि लेखा बहियों के बनाए रेखे जाने के लिए, लागू होता है।

आय-कर अधिनियम, 1961 (अधिनियम) और इस आय संगणना और प्रकटन मानक के उपबंधों के बीच विरोध की दशा में, अधिनियम के उपबंध उस सीमा तक अभिभावी होंगे।

व्याप्ति

1.(1) यह आय संगणना और प्रकटन मानक उधार लेने संबंधी लागतों के निरूपण के बारे में है।

(2) यह आय संगणना और प्रकटन मानक स्वामी के साधारण और अधिमानी शेयर पूंजी की वास्तविक या अभ्यारोपित लागत के बारे में नहीं है।

परिभाषाएं

2.(1) इस य संगणना और प्रकटीकरण मानक में प्रयुक्त निम्नलिखित पदों को उनके विनिर्दिष्ट अर्थरूप में प्रकट किया गया है।

(क) “उधार लेने संबंधी लागत” किसी व्यक्ति द्वारा निधियों के उधार लेने के संबंध में उपगत ब्याज और अन्य लागतें हैं और इसके अंतर्गत निम्नलिखित भी है:

- (i) उधार लेने संबंधित प्रतिबद्धता प्रभार;
- (ii) उधार लेने से संबंधित ब्रूट की अपाकरणित रकम या प्रीमियम;
- (iii) उधार लेने संबंधी ठहराव के संबंध में उपगत आनुषंगिक लागतों की अपाकरणित रकम;
- (iv) वित्त पट्टो या वैसे ही अन्य ठहरावों के अधीन अर्जित आस्तियों के संबंध में वित्त प्रभार।

(ख) (“अर्हक आस्ति”) से—

- (i) ऐसी भूमि, भवन, मशीनरी, संयंत्र या फर्नीचर, अभीप्रेत है, जो मूर्त आस्तियां हैं।
- (ii) ऐसा व्यवहार ज्ञान, पेटेंट, प्रतिलिप्यधिकार, व्यापार चिह्न, अनुज्ञप्तियां, मताधिकार या उसी प्रकृति के कोई अन्य कारबार या वाणिज्यिक अधिकार अभीप्रेत है जो अमूर्त आस्तियां हैं;
- (iii) ऐसी सूचीबद्ध सामग्रियां जिन्हें विक्रय की स्थिति में लाने के लिए बारह साल या उससे अधिक की अवधि अपेक्षित है।

(2) उन शब्दों और पदों के, जो इस आय संगणना और प्रकटन मानक में प्रयुक्त हैं और पारिभाषित नहीं हैं किंतु अधिनियम में पारिभाषित हैं, वही अर्थ होंगे जो अधिनियम में उनका है।

मान्यता

3. उधार लेने संबंधी ऐसी लागतों को जिन्हें प्रत्यक्ष रूप से किसी अर्हक आस्ति का अर्जन, संनिर्माण या उत्पादन माना जा सकता है, स आस्ति की लागत के भाग रूप में पूंजीकृत किया जाएगा। पूंजीकरण के लिए अर्हत उधार लेने संबंधी लागतों की रकम इस आय संगणना और प्रकटीकरण मानक के अनुसार अवधारित की जाएगी। अन्य उधार लेने संबंधी लागतों को अधिनियम के उपबंधों के अनुसार मान्यता दी जाएगी।

4. इस आय की संगणना और प्रकटीकरण मानक के प्रयोजनों के ले पैरा के उपपैरा (1) के खंड (ख) की मद (iii) में निर्दिष्ट सूचीबद्ध सामग्री के संदर्भ में “पूंजीकरण” से संपत्ति सूची की लागत में उधार लेने संबंधी लागत को जोड़ा जाना अभीप्रेत है।

पूंजीकरण के लिए अर्हक उधार लेने संबंधी लागतें

5. उस विस्तार तक जिस तक निधियां किसी अर्हक आस्ति के अर्जन, संनिर्माण या उत्पादन के प्रयोजनों के लिए विनिर्दिष्ट रूप से उधार ली जाती हैं उस आस्ति पर पूंजीकृत की जाने वाली उधार लेने संबंधी लागतों की रकम इस प्रकार उधार ली गई निधियों पर अवधि के दौरान उपगत उधार लेने संबंधी वास्तविक लागत होंगी।

6. पैरा 8 के अधीन रहते हुए, उधारी, उनसे भिन्न जो कि पैरा 5 में संदर्भित है के संबंध में उधार लागत की राशि, जिसका पूंजीकरण किया जाना है की संगणना निम्नलिखित सूत्र का प्रयोग करते हुए की जाएगी यथा:-

$$A \times B$$

C

जहां A= पिछले वर्ष होने वाली उधार लागत, उससे भिन्न जो उपर्युक्त पैरा 5 में संदर्भित है।

B= (i) पिछले वर्ष के पहले और अंतिम दिन व्यक्ति के तुलन:पत्र में प्रदर्शित व्यक्ति की अर्ह परिसंपत्ति की लागत का औसत:-

(ii) यदि व्यक्ति के तुलन पत्र में पहले दिन की अर्ह परिसंपत्ति का उल्लेख नहीं है तो अर्ह परिसंपत्ति की लागत का आधा: या

(iii) यदि व्यक्ति के तुलन पत्र में पिछले वर्ष के प्रथम दिन की अर्ह परिसंपत्ति का उल्लेख नहीं है तो तुलन पत्र में पिछले वर्ष के प्रथम दिन और प्रयोग पूरा होने के दिन जैसी स्थिति है, प्रदर्शित अर्ह परिसंपत्ति की लागत का औसत उस सीमा तक छोड़कर जिस सीमातक अर्ह परिसंपत्ति का पोषण सीधे विशेष उधारों से होता है:-

C= व्यक्ति के तुलना पत्र में पिछले वर्ष के प्रथम और अंतिम दिन की कुल परिसंपत्ति की राशि का औसत, उन परिसंपत्तियों को छोड़कर जिनका पोषण विशेष उधारों से होता हो:

स्पष्टीकरण:- इस पैराग्राफ के उद्देश्य के लिए अर्ह परिसंपत्ति वह परिसंपत्ति होगी जिसके अधिग्रहण, निर्माण या उत्पादन में 12 महीने या इससे अधिक का समय लगता हो।

पूँजीकरण का प्रारंभ

7. उधार लेने संबंधी लागतों के पूँजीकरण का प्रारंभ;

(क) पैरा 5 में निर्दिष्ट किसी मामले में उस तारीख से प्रारंभ होगा जिसको निधियां उधार ली गई थी;

(ख) पैरा 6 में निर्दिष्ट किसी मामले में, उस तारीख से प्रारंभ होगा जिसको निधियों का उपयोग किया गया था।

पूँजीकरण की समाप्ति

8. उधार लेने संबंधी लागतों का पूँजीकरण:

(क) पैरा 2 के उपपैरा (1) के खंड (ख) की मद (i) और मद (ii) में निर्दिष्ट किसी अर्हक आस्ति की दशा में, जब ऐसी आस्ति का पहले उपयोग किया जाता है, समाप्त हो जाएगा।

(ख) पैरा 2 के अपपैरा (1) के खंड (ख) की मद (iii) में निर्दिष्ट सूचीबद्ध सामग्री की दशा में, जब सारतः सभी क्रियाकलाप ऐसी सूचीबद्ध सामग्री को, सके आशयित विक्रय को पूरा करने के लिए तैयार करने हेतु आवश्यक है, समाप्त हो जाएगा।

9. जब किसी अर्हक आस्ति का संनिर्माण भागों में पूरा होता है और संपूरित भाग, अन्य भागों के संनिर्माण जारी रहने के दौरान उपयोग करने योग्य है तो ऐसे भाग के संबंध में उधार लेने की लागतों का पूँजीकरण:

(क) पैरा 2 के अपपैरा (1) के खंड (ख) की मद (i) और मद (ii) में निर्दिष्ट सूचीबद्ध सामग्री के भाग की दशा में जब सारतः सभी क्रिया कलाप सूचीबद्ध सामग्री के ऐसे भाग को उसके आशयित विक्रय को पूरा करने के लिए तैयार करने हेतु आवश्यक है, समाप्त हो जाएगा।

(ख) पैरा 2 के उपपैरा (1) के खंड (ख) के मद (iii) में संदर्भित सूची के हिस्से के संबंध में जब पर्याप्त रूप से इसकी अभिप्रेत बिक्री के संबंध में इस प्रकार की सूची तैयार करने के लिए आवश्यक सभी क्रिया कलाप पर्याप्त रूप से पूर्ण हों।

संक्रमणकालीन उपबंध

10. 1 अप्रैल, 2016 को या उसके पश्चात् उपगत सभी उधार लेने संबंधी लागतों का पूँजीकरण, 31 मार्च, 2016 को या उसके पहले समाप्त होने वाले किसी पूर्व वर्ष के लिए वैसे ही उधार लेने हेतु पूँजीकृत उधार लेने संबंधी लागतों की रकम को, यदि कोई हो, हिसाब में लेने के पश्चात् इस मानक के उपबंधों के अनुसार 1 अप्रैल, 2016 को या उसके पश्चात् प्रारंभ होने वाले पूर्व वर्ष के लिए पूँजीकृत किया जाएगा।

प्रकटन

11. उधार लेने संबंधी लागतों के संबंध में निम्नलिखित प्रकटन किया जाएगा, अर्थात्--:

(क) उधार लेने संबंधी लागतों के लिए लेखा नीति; और

(ख) पूर्व वर्ष के दौरान पूँजीकृत उधार लेने संबंधी लागतों की रकम।

झ. समाश्रित दायित्वों और समाश्रित आस्तियों के उपबंधों से संबंधित आय संगणना और प्रकटन मानक।

उद्देशिका

यह आय संगणना और प्रकटन मानक "कारबार या वृत्ति के लाभ और अभिलाभ" अथवा "अन्य स्रोतों से आय" शीर्ष के अधीन प्रभार्य आय की संगणना के लिए, न कि लेखा बहियों के बनाए रखे जाने के प्रयोजन के लिए, लागू होता है।

आय-कर, अधिनियम 1961 ('अधिनियम') और इस आय संगणना और प्रकटन मानक के उपबंधों के बीच विरोध की दशा में, अधिनियम के उपबंध उस सीमा तक अभिभावी होंगे।

व्याप्ति

1. यह आय संगणना और प्रकटन मानक समाश्रित दायित्वों और समाश्रित आस्तियों के उपबंधों के बारे में है सिवाए उनके जो:

(क) वित्तीय लिखतों के परिणाम स्वरूप हैं;

(ख) निष्पाद्य संविदाओं के परिणाम स्वरूप हैं;

(ग) पॉलिसी धारकों के साथ संविदाओं से बीमा कारबार में उद्भूत हुए हैं; और

(घ) किसी अन्य आय संगणना और प्रकटन के अंतर्गत आते हैं।

2. यह आय संगणना और प्रकटीकरण मानक ऐसे राजस्व की मान्यता के बारे में नहीं है जो आय संगणना और प्रकटन मानक राजस्व मान्यता के बारे में है।

3. 'उपबंध' पद का आस्तियों के ऐसे आवक्षयण, उनके हवास और संदेहास्पद ऋण जैसी मदों के संदर्भ भी उपयोगी किया गया है जो आस्तियों की धारित रकमों का समायोजन करते हैं और जिनका इस आय संगणना और प्रकटन मानक में विचार नहीं किया जाता है।

परिभाषाएं

4.(1) इस आय संगणना और प्रकटन मानक में निम्नलिखित पदों को, उनके विनिर्दिष्ट अर्थरूप में प्रयुक्त किया गया है:

(क) "प्रावधान" ऐसा दायित्व है जो केवल प्राक्कलन की पर्याप्त डिग्री का उपयोग करके मापी जा सकती है।

(ख) "दायित्व" पूर्व घटनाओं से उद्भूत किसी व्यक्ति का ऐसा वर्तमान दायित्व है, जिसके निपटारे से उस व्यक्ति से ऐसे संसाधनों के, जिसके आर्थिक फायदे सन्निविष्ट हैं, उद्भूत होने की संभावना है।

(ग) "बाध्यकारी घटना" ऐसी घटना है जिससे ऐसी किसी बाध्यता का सृजन होता है जिसके उस व्यक्ति से उद्भूत होने की संभावना है जिसके पास उस बाध्यता के निपटारे के लिए कोई यथार्थ विकल्प नहीं है;

(घ) "समाश्रित दायित्व"

(i) ऐसी सम्भाव्य बाध्यता है जो पूर्व घटनाओं से उद्भूत होती है और जिसके आस्तित्व की, जो पूर्ण रूप से व्यक्ति के नियंत्रणाधीन नहीं है, केवल एक या अधिक अनिश्चित भावी घटनाओं के घटित होने या न होने पर पुष्टि होगी; या

(ii) ऐसी वर्तमान बाध्यता है जो पूर्व घटनाओं से उद्भूत होती है किन्तु मान्यताप्राप्त नहीं है, क्योंकि--:

(अ) यह युक्तियुक्त रूप से निश्चित नहीं है कि ऐसे संसाधनों, जिसमें आर्थिक फायदे सन्निविष्ट हैं, प्रवाह से बाध्यता का निपटारा होना अपेक्षित है; या

(आ) बाध्यता की रकम का विश्वसनीय प्राक्कलन नहीं किया जा सकता है।

(इ) "समाश्रित आस्ति" ऐसी सम्भाव्य आस्ति है जो ऐसी पूर्व घटनाओं से उद्भूत होती है जिसके आस्तित्व की, जो पूर्ण रूप से व्यक्ति के नियंत्रणाधीन नहीं है, केवल एक या अधिन अनिश्चित भावी घटनाओं के घटित न होने की पुष्टि होती है।

(च) "निष्पादन संविदाएं" ऐसी संविदाएं हैं जिनके अधीन कोई भी पक्षकार अपनी किसी बाध्यता का पालन नहीं करता है या दोनों पक्षकार एक समान विस्तार तक अपनी बाध्यताओं का पालन करते हैं।

(छ) "वर्तमान दायित्व" ऐसा दायित्व है यदि यह उपलब्ध साक्ष्य पर आधारित है तो उसके अस्तित्व को पूर्व वर्ष के अंत में युक्तियुक्त रूप से निश्चित समझा जाएगा।

4. (2) उन शब्दों और पदों के, जो इस आय संगणना और प्रकटन मानक में प्रयुक्त हैं और पारिभाषित नहीं हैं, किंतु अधिनियम में परिभाषित हैं, वही अर्थ होंगे जो उस अधिनियम में उनके हैं।

मान्यता

प्रावधान

5. किसी प्रावधान को तभी मान्यता दी जाएगी, जब-

(क) किसी व्यक्ति की वर्तमान बाध्यता किसी पूर्व घटना के परिणामस्वरूप है

(ख) यह युक्तियुक्त रूप से निश्चित है कि ऐसे संसाधनों के प्रवाह से, जिसमें आर्थिक फायदा सन्निविष्ट है, बाध्यता का निपटारा होना अपेक्षित है; और

(ग) बाध्यता की सीमा का विश्वनीय प्राक्कलन किया जा सकता है।

यदि ये शर्तें पूरी नहीं होती हैं तो किसी प्रावधान को मान्यता नहीं दी जाएगी।

6. ऐसे खर्चों के लिए किसी प्रावधान को मान्यता नहीं दी जाएगी, जिनको भविष्य में प्रवर्तित किए जाने के लिए उपगत किए जाने की आवश्यकता है।

7. यह केवल ऐसी बाध्यताएं हैं जो किसी व्यक्ति की भावी कार्यवाइयों के स्वतंत्र रूप से विद्यमान पूर्व घटनाओं से उद्भूत होती हैं अर्थात् उसके कारबार का भावी संचालन जो प्रावधानों के रूप में मान्यता प्राप्त है।

8. जहां प्रस्तावित नई विधि के व्यौरों को अभी अंतिम रूप दिया जाना है, वहां ऐसे विधान के अधिनियमित होने पर ही दायित्व उद्भूत होगा।

समाश्रित दायित्व

9. कोई व्यक्ति समाश्रित दायित्व को मान्यता नहीं देगा।

समाश्रित आस्तियाँ

10. कोई व्यक्ति किसी समाश्रित आस्ति को मान्यता नहीं देगा।

11. समाश्रित आस्तियों का निर्धारण निरन्तर किया जाता है और जब यह युक्तियुक्त रूप से निश्चित होता है कि आर्थिक फायदे का प्रवाह उद्भूत होगा तो आस्ति और संबंधित आय को उस पूर्व वर्ष की मान्यता दी जाएगी, जिसमें परिवर्तन घटित होता है।

मापमान

सर्वोत्तम प्राक्कलन

12. किसी प्रावधान के रूप में मान्यता प्राप्त रकम, पूर्व वर्ष के अंत में वर्तमान बाध्यता के निपटारे के लिए अपेक्षित व्यय का सर्वोत्तम प्राक्कलन होगी। किसी प्रावधान की रकम को उसके वर्तमान मूल्य के लिए घटाया नहीं जाएगा।

13. आस्ति और संबंधित आय के रूप में मान्यताप्राप्त रकम, पूर्व वर्ष के अंत में वर्तमान बाध्यता के निपटारे के लिए अपेक्षित व्यय का सर्वोत्तम प्राक्कलन होगी। किसी प्रावधान की रकम को उसके वर्तमान मूल्य के लिए घटाया नहीं जाएगा।

प्रतिपूर्तियाँ

14. जहां किसी प्रावधान के परिनिर्धारण के लिए अपेक्षित कुछ या सभी व्ययों की किसी अन्य पक्षकार द्वारा प्रतिपूर्ति किया जाना अपेक्षित है वहां प्रतिपूर्ति को तब मान्यता दी जाएगी तब जब युक्तियुक्त रूप से यह निश्चित हो जाता है कि यदि व्यक्ति

बाध्यताओं का परिनिर्धारण कर लेता है तो प्रतिपूर्ति का पुनरीक्षण किया जाएगा। प्रतिपूर्ति के लिए मान्यताप्राप्त रकम प्रावधान की रकम से अधिक नहीं होगी।

15. जहां कोई उस दशा में, जिसमें अन्य पक्षकार संदाय करने में असफल रहता है, लागतों का संदाय करने के लिए दायी नहीं है, वहां उन लागतों के लिए कोई प्रावधान नहीं किया जाएगा।

16. ऐसा दायित्व, जिनके लिए कोई व्यक्ति संयुक्त रूप से और पृथक् रूप से दायी है, उस सीमा तक समाश्रित दायित्व होगा, जहां तक यह प्रत्याशित है कि दायित्व का परिनिर्धारण अन्य पक्षकारों द्वारा किया जाएगा।

पुनर्विलोकन

17. प्रावधानों का पुनर्विलोकन प्रत्येक पूर्व वर्ष के अंत में किया जाएगा और उसे अद्यतन सर्वोत्तम प्राक्कलन में प्रतिबिम्बित किया जाएगा। यदि यह अब युक्तियुक्त रूप से निश्चित नहीं है कि ऐसे संसाधनों के, जिसमें आर्थिक फायदा सन्निविष्ट है, प्रवाह के लिए बाध्यता का परिनिर्धारण अपेक्षित होगा, वहां ऐसा प्रावधान प्रतिवर्तित कर दिया जाना चाहिए।

18. पैरा 11 में यथाउपबंधित मान्यताप्राप्त कोई आस्ति और संबंधित आय का प्रत्येक पूर्व वर्ष के अंत में पुनर्विलोकन किया जाएगा और उसे अद्यतन सर्वोत्तम प्राक्कलन में प्रतिबिम्बित किया जाएगा यदि अब यह युक्तियुक्त रूप से निश्चित नहीं है कि फायदों का प्रवाह उद्भूत होगा तो आस्ति और संबंधित आय प्रतिवर्तित कर दिया जाएगा।

उपबंधों का उपयोग

19. प्रावधान का उपयोग केवल ऐसे व्यय के लिए किया जाएगा, जिसके लिए प्रावधान को मूल रूप से मान्यता दी गई थी।

संक्रमणकालीन प्रावधान

20. सभी उपबंधों या आस्तियों और संबंधित आय को, 31 मार्च, 2016 को या उसके पहले समाप्त होने वाले किसी पूर्व वर्ष में उसी के लिए मान्यताप्राप्त रकम को, यदि कोई हो, हिसाब में लेने के पश्चात इस मानक के उपबंधों के अनुसार 1 अप्रैल, 2016 को या उसके पश्चात प्रारंभ होने वाले पूर्व वर्ष के लिए मान्यता दी जाएगी।

प्रकटीकरण

21.(1) प्रावधान के प्रत्येक वर्ग के संबंध में निम्नलिखित प्रकटीकरण किया जाएगा, अर्थात्—

(क) बाध्यता की प्रकृति का संक्षिप्त विवरण;

(ख) पूर्व वर्ष के आरंभ और अंत में धारित रकम;

(ग) पूर्व वर्ष के दौरान किए गए अतिरिक्त प्रावधान, जिसके अंतर्गत विद्यमान प्रावधानों को बढ़ाना भी है;

(घ) उपयोग की गई रकम, जो पूर्व वर्ष के दौरान प्रावधानों के विरुद्ध उपगत और भारित है;

(ङ.) पूर्व वर्ष के दौरान पुनरीक्षित अनुप्रयुक्त रकम और हुए किसी प्रत्याशित प्रतिपूर्ति की रकम, जो उस प्रत्याशित प्रतिपूर्ति के लिए मान्यताप्राप्त है।

(च) किसी भावी प्रतिपूर्ति की धनराशि जिसमें किसी ऐसी परिसंपत्ति की धनराशि बताई गई हो जिसे उस भावी प्रतिपूर्ति के लिए मान्यता प्राप्त है।

21.(2) पैरा 11 में यथाउपबंधित मान्यताप्राप्त आस्ति के प्रत्येक वर्ग और संबंधित आय के संबंध में निम्नलिखित प्रकटन किया जाएगा, अर्थात्—

(क) आस्ति और संबंधित आय की प्रकृति का संक्षिप्त विवरण;

(ख) पूर्व वर्ष के आरंभ और अंत में आस्ति की धारित रकम;

(ग) वर्ष के दौरान आस्ति और संबंधित आय की अतिरिक्त रकम, जिसके अंतर्गत पहले से मान्यताप्राप्त आस्तियों और संबंधित आय का बढ़ाया जाना भी है; और

(घ) पूर्व वर्ष के दौरान प्रतिवर्तित आस्ति और संबंधित आय की रकम।

[अधिसूचना सं. 87/2016/फा. स.133/23/2015-टीपीएल]

पीतांबर दास, निदेशक (कर नीति एवं विधायन)

NOTIFICATION

New Delhi, the 29th September, 2016

S.O. 3079(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 145 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961, the Central Government hereby notifies the income computation and disclosure standards as specified in the Annexure to this notification to be followed by all assesseees (other than an individual or a Hindu undivided family who is not required to get his accounts of the previous year audited in accordance with the provisions of section 44AB of the said Act) following the mercantile system of accounting, for the purposes of computation of income chargeable to income-tax under the head “Profits and gains of business or profession” or “Income from other sources”.

2. This notification shall apply to the assessment year 2017-18 and subsequent assessment years.

Annexure

A. Income Computation and Disclosure Standard I relating to accounting policies

Preamble

This Income Computation and Disclosure Standard is applicable for computation of income chargeable under the head “Profits and gains of business or profession” or “Income from other sources” and not for the purpose of maintenance of books of accounts.

In the case of conflict between the provisions of the Income-tax Act, 1961 (‘the Act’) and this Income Computation and Disclosure Standard, the provisions of the Act shall prevail to that extent.

Scope

1. This Income Computation and Disclosure Standard deals with significant accounting policies.

Fundamental Accounting Assumptions

2. The following are fundamental accounting assumptions, namely:—

(a) Going Concern

“Going concern” refers to the assumption that the person has neither the intention nor the necessity of liquidation or of curtailing materially the scale of the business, profession or vocation and intends to continue his business, profession or vocation for the foreseeable future.

(b) Consistency

“Consistency” refers to the assumption that accounting policies are consistent from one period to another;

(c) Accrual

“Accrual” refers to the assumption that revenues and costs are accrued, that is, recognised as they are earned or incurred (and not as money is received or paid) and recorded in the previous year to which they relate.

Accounting Policies

3. The accounting policies refer to the specific accounting principles and the methods of applying those principles adopted by a person.

Considerations in the Selection and Change of Accounting Policies

4. Accounting policies adopted by a person shall be such so as to represent a true and fair view of the state of affairs and income of the business, profession or vocation. For this purpose,

(i) the treatment and presentation of transactions and events shall be governed by their substance and not merely by the legal form; and

(ii) marked to market loss or an expected loss shall not be recognised unless the recognition of such loss is in accordance with the provisions of any other Income Computation and Disclosure Standard.

5. An accounting policy shall not be changed without reasonable cause.

Disclosure of Accounting Policies

6. All significant accounting policies adopted by a person shall be disclosed.

7. Any change in an accounting policy which has a material effect shall be disclosed. The amount by which any item is affected by such change shall also be disclosed to the extent ascertainable. Where such amount is not ascertainable, wholly or in part, the fact shall be indicated. If a change is made in the accounting policies which has no material effect for the current previous year but which is reasonably expected to have a material effect in later previous years, the fact of such change shall be appropriately disclosed in the previous year in which the change is adopted and also in the previous year in which such change has material effect for the first time.

8. Disclosure of accounting policies or of changes therein cannot remedy a wrong or inappropriate treatment of the item.

9. If the fundamental accounting assumptions of Going Concern, Consistency and Accrual are followed, specific disclosure is not required. If a fundamental accounting assumption is not followed, the fact shall be disclosed.

Transitional Provisions

10. All contract or transaction existing on the 1st day of April, 2016 or entered into on or after the 1st day of April, 2016 shall be dealt with in accordance with the provisions of this standard after taking into account the income, expense or loss, if any, recognised in respect of the said contract or transaction for the previous year ending on or before the 31st March, 2016.

B. Income Computation and Disclosure Standard II relating to valuation of inventories**Preamble**

This Income Computation and Disclosure Standard is applicable for computation of income chargeable under the head “Profits and gains of Business or profession” or “Income from other sources” and not for the purpose of maintenance of books of accounts.

In the case of conflict between the provisions of Income Tax Act, 1961 (‘the Act’) and this Income Computation and Disclosure Standard, the provisions of the Act shall prevail to that extent.

Scope

1. This Income Computation and Disclosure Standard shall be applied for valuation of inventories, except :

- (a) Work-in-progress arising under ‘construction contract’ including directly related service contract which is dealt with by the Income Computation and Disclosure Standard on construction contracts;
- (b) Work-in-progress which is dealt with by other Income Computation and Disclosure Standard;
- (c) Shares, debentures and other financial instruments held as stock-in-trade which are dealt with by the Income Computation and Disclosure Standard on securities;

- (d) Producers' inventories of livestock, agriculture and forest products, mineral oils, ores and gases to the extent that they are measured at net realisable value;
- (e) Machinery spares, which can be used only in connection with a tangible fixed asset and their use is expected to be irregular, shall be dealt with in accordance with the Income Computation and Disclosure Standard on tangible fixed assets.

Definitions

2(1) The following terms are used in this Income Computation and Disclosure Standard with the meanings specified:

- (a) **“Inventories”** are assets:
 - (i) held for sale in the ordinary course of business;
 - (ii) in the process of production for such sale;
 - (iii) in the form of materials or supplies to be consumed in the production process or in the rendering of services.
- (b) **“Net realisable value”** is the estimated selling price in the ordinary course of business less the estimated costs of completion and the estimated costs necessary to make the sale.

2(2) Words and expressions used and not defined in this Income Computation and Disclosure Standard but defined in the Act shall have the meanings assigned to them in that Act.

Measurement

3. Inventories shall be valued at cost, or net realisable value, whichever is lower.

Cost of Inventories

4. Cost of inventories shall comprise of all costs of purchase, costs of services, costs of conversion and other costs incurred in bringing the inventories to their present location and condition.

Costs of Purchase

5. The costs of purchase shall consist of purchase price including duties and taxes, freight inwards and other expenditure directly attributable to the acquisition. Trade discounts, rebates and other similar items shall be deducted in determining the costs of purchase.

Costs of Services

6. The costs of services shall consist of labour and other costs of personnel directly engaged in providing the service including supervisory personnel and attributable overheads.

Costs of Conversion

7. The costs of conversion of inventories shall include costs directly related to the units of production and a systematic allocation of fixed and variable production overheads that are incurred in converting materials into finished goods. Fixed production overheads shall be those indirect costs of production that remain relatively constant regardless of the volume of production. Variable production overheads shall be those indirect costs of production that vary directly or nearly directly, with the volume of production.

8. The allocation of fixed production overheads for the purpose of their inclusion in the costs of conversion shall be based on the normal capacity of the production facilities. Normal capacity shall be the production expected to be achieved on an average over a number of periods or seasons under normal circumstances, taking into account the loss of capacity resulting from planned maintenance. The actual level of production shall be used when it approximates to normal capacity. The amount of fixed production overheads allocated to each unit of production shall not be increased as a consequence of low production or idle plant. Unallocated overheads shall be recognised as an expense in the period in which they are incurred. In periods of abnormally high production, the amount of fixed production overheads allocated to each unit of production is decreased so that inventories are not measured above the cost. Variable production overheads shall be assigned to each unit of production on the basis of the actual use of the production facilities.

9. Where a production process results in more than one product being produced simultaneously and the costs of conversion of each product are not separately identifiable, the costs shall be allocated between the products on a rational and consistent basis. Where by-products, scrap or waste material are immaterial, they shall be measured at net realisable value and this value shall be deducted from the cost of the main product.

Other Costs

10. Other costs shall be included in the cost of inventories only to the extent that they are incurred in bringing the inventories to their present location and condition.

11. Interest and other borrowing costs shall not be included in the costs of inventories, unless they meet the criteria for recognition of interest as a component of the cost as specified in the Income Computation and Disclosure Standard on borrowing costs.

Exclusions from the Cost of Inventories

12. In determining the cost of inventories in accordance with paragraphs 4 to paragraphs 11, the following costs shall be excluded and recognised as expenses of the period in which they are incurred, namely:—

- (a) Abnormal amounts of wasted materials, labour, or other production costs;
- (b) Storage costs, unless those costs are necessary in the production process prior to a further production stage;
- (c) Administrative overheads that do not contribute to bringing the inventories to their present location and condition ;
- (d) Selling costs.

Cost Formulae

13. The Cost of inventories of items

- (i) that are not ordinarily interchangeable; and
 - (ii) goods or services produced and segregated for specific projects
- shall be assigned by specific identification of their individual costs.

14. 'Specific identification of cost' means specific costs are attributed to identified items of inventory.

15. Where there are a large numbers of items of inventory which are ordinarily interchangeable, specific identification of costs shall not be made.

First-in First-out and Weighted Average Cost Formula

16. Cost of inventories, other than the inventory dealt with in paragraph 13, shall be assigned by using the First-in First-out (FIFO), or weighted average cost formula. The formula used shall reflect the fairest possible approximation to the cost incurred in bringing the items of inventory to their present location and condition.

17. The FIFO formula assumes that the items of inventory which were purchased or produced first are consumed or sold first, and consequently the items remaining in inventory at the end of the period are those most recently purchased or produced. Under the weighted average cost formula, the cost of each item is determined from the weighted average of the cost of similar items at the beginning of a period and the cost of similar items purchased or produced during the period. The average shall be calculated on a periodic basis, or as each additional shipment is received, depending upon the circumstances.

Techniques for the Measurement of Cost

18(1) Techniques for the measurement of the cost of inventories, such as the standard cost method or the retail method, may be used for convenience if the results approximate the actual cost. Standard costs take into account normal levels of consumption of materials and supplies, labour, efficiency and capacity utilisation. They are regularly reviewed and, if necessary, revised in the light of the current conditions.

18(2) The retail method can be used in the retail trade for measuring inventories of large number of rapidly changing items that have similar margins and for which it is impracticable to use other costing methods. The cost of the inventory is determined by reducing from the sales value of the inventory, the appropriate

percentage gross margin. The percentage used takes into consideration inventory, which has been marked down to below its original selling price. An average percentage for each retail department is to be used.

Net Realisable Value

19. Inventories shall be written down to net realisable value on an item-by-item basis. Where 'items of inventory' relating to the same product line having similar purposes or end uses and are produced and marketed in the same geographical area and cannot be practicably evaluated separately from other items in that product line, such inventories shall be grouped together and written down to net realisable value on an aggregate basis.

20. Net realisable value shall be based on the most reliable evidence available at the time of valuation. The estimates of net realisable value shall also take into consideration the purpose for which the inventory is held. The estimates shall take into consideration fluctuations of price or cost directly relating to events occurring after the end of previous year to the extent that such events confirm the conditions existing on the last day of the previous year.

21. Materials and other supplies held for use in the production of inventories shall not be written down below the cost, where the finished products in which they shall be incorporated are expected to be sold at or above the cost. Where there has been a decline in the price of materials and it is estimated that the cost of finished products will exceed the net realisable value, the value of materials shall be written down to net realisable value which shall be the replacement cost of such materials.

Value of Opening Inventory

22. The value of the inventory as on the beginning of the previous year shall be
- (i) the cost of inventory available, if any, on the day of the commencement of the business when the business has commenced during the previous year; and
 - (ii) the value of the inventory as on the close of the immediately preceding previous year, in any other case.

Change of Method of Valuation of Inventory

23. The method of valuation of inventories once adopted by a person in any previous year shall not be changed without reasonable cause.

Valuation of Inventory in Case of Certain Dissolutions

24. In case of dissolution of a partnership firm or association of person or body of individuals, notwithstanding whether business is discontinued or not, the inventory on the date of dissolution shall be valued at the net realisable value.

Transitional Provisions

25. Interest and other borrowing costs, which do not meet the criteria for recognition of interest as a component of the cost as per para 11, but included in the cost of the opening inventory as on the 1st day of April, 2016, shall be taken into account for determining cost of such inventory for valuation as on the close of the previous year beginning on or after 1st day of April, 2016 if such inventory continue to remain part of inventory as on the close of the previous year beginning on or after 1st day of April, 2016.

Disclosure

26. The following aspects shall be disclosed, namely:—
- (a) the accounting policies adopted in measuring inventories including the cost formulae used. Where Standard Costing has been used as a measurement of cost, details of such inventories and a confirmation of the fact that standard cost approximates the actual cost; and
 - (b) the total carrying amount of inventories and its classification appropriate to a person.

C. Income Computation and Disclosure Standard III relating to construction contracts

Preamble

This Income Computation and Disclosure Standard is applicable for computation of income chargeable under the head “Profits and gains of business or profession” or “Income from other sources” and not for the purpose of maintenance of books of accounts.

In the case of conflict between the provisions of the Income-tax Act, 1961(‘the Act’) and this Income Computation and Disclosure Standard, the provisions of the Act shall prevail to that extent.

Scope

1. This Income Computation and Disclosure Standard should be applied in determination of income for a construction contract of a contractor.

Definitions

- 2 (1) The following terms are used in this Income Computation and Disclosure Standard with the meanings specified:
 - (a) **“Construction contract”** is a contract specifically negotiated for the construction of an asset or a combination of assets that are closely interrelated or interdependent in terms of their design, technology and function or their ultimate purpose or use and includes :
 - (i) contract for the rendering of services which are directly related to the construction of the asset, for example, those for the services of project managers and architects;
 - (ii) contract for destruction or restoration of assets, and the restoration of the environment following the demolition of assets.
 - (b) **“Fixed price contract”** is a construction contract in which the contractor agrees to a fixed contract price, or a fixed rate per unit of output, which may be subject to cost escalation clauses.
 - (c) **“Cost plus contract”** is a construction contract in which the contractor is reimbursed for allowable or otherwise defined costs, plus a mark up on these costs or a fixed fee.
 - (d) **“Retentions”** are amounts of progress billings which are not paid until the satisfaction of conditions specified in the contract for the payment of such amounts or until defects have been rectified.
 - (e) **“Progress billings”** are amounts billed for work performed on a contract whether or not they have been paid by the customer.
 - (f) **“Advances”** are amounts received by the contractor before the related work is performed.
- 2(2) Words and expressions used and not defined in this Income Computation and Disclosure Standard but defined in the Act shall have the meaning respectively assigned to them in the Act.
3. A construction contract may be negotiated for the construction of a single asset. A construction contract may also deal with the construction of a number of assets which are closely interrelated or interdependent in terms of their design, technology and function or their ultimate purpose or use.
4. Construction contracts are formulated in a number of ways which, for the purposes of this Income Computation and Disclosure Standard, are classified as fixed price contracts and cost plus contracts. Some construction contracts may contain characteristics of both a fixed price contract and a cost plus contract, for example, in the case of a cost plus contract with an agreed maximum price.

Combining and Segmenting Construction Contracts

5. The requirements of this Income Computation and Disclosure Standard shall be applied separately to each construction contract except as provided for in paragraphs 6, 7 and 8 herein. For reflecting the substance of a contract or a group of contracts, where it is necessary, the Income Computation and

Disclosure Standard should be applied to the separately identifiable components of a single contract or to a group of contracts together.

6. Where a contract covers a number of assets, the construction of each asset should be treated as a separate construction contract when:
 - (a) separate proposals have been submitted for each asset;
 - (b) each asset has been subject to separate negotiation and the contractor and customer have been able to accept or reject that part of the contract relating to each asset; and
 - (c) the costs and revenues of each asset can be identified.
7. A group of contracts, whether with a single customer or with several customers, should be treated as a single construction contract when:
 - (a) the group of contracts is negotiated as a single package;
 - (b) the contracts are so closely interrelated that they are, in effect, part of a single project with an overall profit margin; and
 - (c) the contracts are performed concurrently or in a continuous sequence.
8. Where a contract provides for the construction of an additional asset at the option of the customer or is amended to include the construction of an additional asset, the construction of the additional asset should be treated as a separate construction contract when:
 - (a) the asset differs significantly in design, technology or function from the asset or assets covered by the original contract; or
 - (b) the price of the asset is negotiated without having regard to the original contract price.

Contract Revenue

9. Contract revenue shall be recognised when there is reasonable certainty of its ultimate collection.
10. Contract revenue shall comprise of:
 - (a) the initial amount of revenue agreed in the contract, including retentions; and
 - (b) variations in contract work, claims and incentive payments:
 - (i) to the extent that it is probable that they will result in revenue; and
 - (ii) they are capable of being reliably measured.
11. Where contract revenue already recognised as income is subsequently written off in the books of accounts as uncollectible, the same shall be recognised as an expense and not as an adjustment of the amount of contract revenue.

Contract Costs

12. Contract costs shall comprise of :
 - (a) costs that relate directly to the specific contract;
 - (b) costs that are attributable to contract activity in general and can be allocated to the contract;
 - (c) such other costs as are specifically chargeable to the customer under the terms of the contract; and
 - (d) allocated borrowing costs in accordance with the Income Computation and Disclosure Standard on Borrowing Costs.

These costs shall be reduced by any incidental income, not being in the nature of interest, dividends or capital gains, that is not included in contract revenue.

13. Costs that cannot be attributed to any contract activity or cannot be allocated to a contract shall be excluded from the costs of a construction contract.

14. Contract costs include the costs attributable to a contract for the period from the date of securing the contract to the final completion of the contract. Costs that are incurred in securing the contract are also included as part of the contract costs, provided
- (a) they can be separately identified; and
 - (b) it is probable that the contract shall be obtained.

When costs incurred in securing a contract are recognised as an expense in the period in which they are incurred, they are not included in contract costs when the contract is obtained in a subsequent period.

15. Contract costs that relate to future activity on the contract are recognised as an asset. Such costs represent an amount due from the customer and are classified as contract work in progress.

Recognition of Contract Revenue and Expenses

16. Contract revenue and contract costs associated with the construction contract should be recognised as revenue and expenses respectively by reference to the stage of completion of the contract activity at the reporting date.
17. The recognition of revenue and expenses by reference to the stage of completion of a contract is referred to as the percentage of completion method. Under this method, contract revenue is matched with the contract costs incurred in reaching the stage of completion, resulting in the reporting of revenue, expenses and profit which can be attributed to the proportion of work completed.
18. The stage of completion of a contract shall be determined with reference to:
- (a) the proportion that contract costs incurred for work performed upto the reporting date bear to the estimated total contract costs; or
 - (b) surveys of work performed; or
 - (c) completion of a physical proportion of the contract work.

Progress payments and advances received from customers are not determinative of the stage of completion of a contract.

19. When the stage of completion is determined by reference to the contract costs incurred upto the reporting date, only those contract costs that reflect work performed are included in costs incurred upto the reporting date. Contract costs which are excluded are:
- (a) contract costs that relate to future activity on the contract; and
 - (b) payments made to subcontractors in advance of work performed under the subcontract.
20. During the early stages of a contract, where the outcome of the contract cannot be estimated reliably contract revenue is recognised only to the extent of costs incurred. The early stage of a contract shall not extend beyond 25 % of the stage of completion.

Changes in Estimates

21. The percentage of completion method is applied on a cumulative basis in each previous year to the current estimates of contract revenue and contract costs. Where there is change in estimates, the changed estimates shall be used in determination of the amount of revenue and expenses in the period in which the change is made and in subsequent periods.

Transitional Provisions

- 22.1 Contract revenue and contract costs associated with the construction contract, which commenced on or after 1st day of April, 2016 shall be recognised in accordance with the provisions of this standard.

22.2 Contract revenue and contract costs associated with the construction contract, which commenced on or before the 31st day of March, 2016 but not completed by the said date, shall be recognised based on the method regularly followed by the person prior to the previous year beginning on the 1st day of April, 2016.

Disclosure

23. A person shall disclose:
- the amount of contract revenue recognised as revenue in the period; and
 - the methods used to determine the stage of completion of contracts in progress.
24. A person shall disclose the following for contracts in progress at the reporting date, namely:—
- amount of costs incurred and recognised profits (less recognised losses) upto the reporting date;
 - the amount of advances received; and
 - the amount of retentions.

D. Income Computation and Disclosure Standard IV relating to revenue recognition**Preamble**

This Income Computation and Disclosure Standard is applicable for computation of income chargeable under the head “Profits and gains of business or profession” or “Income from other sources” and not for the purpose of maintenance of books of accounts.

In the case of conflict between the provisions of the Income-tax Act, 1961 (‘the Act’) and this Income Computation and Disclosure Standard, the provisions of the Act shall prevail to that extent.

Scope

- 1(1) This Income Computation and Disclosure Standard deals with the bases for recognition of revenue arising in the course of the ordinary activities of a person from
- the sale of goods;
 - the rendering of services;
 - the use by others of the person’s resources yielding interest, royalties or dividends.
- 1(2) This Income Computation and Disclosure Standard does not deal with the aspects of revenue recognition which are dealt with by other Income Computation and Disclosure Standards.

Definitions

- 2(1) *The following term is used in this Income Computation and Disclosure Standard with the meanings specified:*

- “**Revenue**” is the gross inflow of cash, receivables or other consideration arising in the course of the ordinary activities of a person from the sale of goods, from the rendering of services, or from the use by others of the person’s resources yielding interest, royalties or dividends. In an agency relationship, the revenue is the amount of commission and not the gross inflow of cash, receivables or other consideration.

- 2(2) Words and expressions used and not defined in this Income Computation and Disclosure Standard but defined in the Act shall have the meanings assigned to them in that Act.

Sale of Goods

3. In a transaction involving the sale of goods, the revenue shall be recognised when the seller of goods has transferred to the buyer the property in the goods for a price or all significant risks and rewards of ownership have been transferred to the buyer and the seller retains no effective control of the goods transferred to a degree usually associated with ownership. In a situation, where transfer of property in goods does not coincide with the transfer of significant risks and rewards of ownership, revenue in such a situation shall be recognised at the time of transfer of significant risks and rewards of ownership to the buyer.

4. Revenue shall be recognised when there is reasonable certainty of its ultimate collection.

5. Where the ability to assess the ultimate collection with reasonable certainty is lacking at the time of raising any claim for escalation of price and export incentives, revenue recognition in respect of such claim shall be postponed to the extent of uncertainty involved.

Rendering of Services

6. Subject to Para 7, revenue from service transactions shall be recognised by the percentage completion method. Under this method, revenue from service transactions is matched with the service transaction costs incurred in reaching the stage of completion, resulting in the determination of revenue, expenses and profit which can be attributed to the proportion of work completed. Income Computation and Disclosure Standard on construction contract also requires the recognition of revenue on this basis. The requirements of that Standard shall *mutatis mutandis* apply to the recognition of revenue and the associated expenses for a service transaction. However, when services are provided by an indeterminate number of acts over a specific period of time, revenue may be recognised on a straight line basis over the specific period.

7. Revenue from service contracts with duration of not more than ninety days may be recognised when the rendering of services under that contract is completed or substantially completed.

The Use of Resources by Others Yielding Interest, Royalties or Dividends

8. (1) Subject to sub paragraph (2), interest shall accrue on the time basis determined by the amount outstanding and the rate applicable.

(2) Interest on refund of any tax, duty or cess shall be deemed to be the income of the previous year in which such interest is received.

(3) Discount or premium on debt securities held is treated as though it were accruing over the period to maturity.

9. Royalties shall accrue in accordance with the terms of the relevant agreement and shall be recognised on that basis unless, having regard to the substance of the transaction, it is more appropriate to recognise revenue on some other systematic and rational basis.

10. Dividends are recognised in accordance with the provisions of the Act.

Transitional Provisions

11. The transitional provisions of Income Computation and Disclosure Standard on construction contract shall *mutatis mutandis* apply to the recognition of revenue and the associated costs for a service transaction undertaken on or before the 31st day of March, 2016 but not completed by the said date.

12. Revenue for a transaction, other than a service transaction referred to in Para 10, undertaken on or before the 31st day of March, 2016 but not completed by the said date shall be recognised in accordance with the provisions of this standard for the previous year commencing on the 1st day of April, 2016 and subsequent previous year. The amount of revenue, if any, recognised for the said transaction for any previous year commencing on or before the 1st day of April, 2015 shall be taken into account for recognising revenue for the said transaction for the previous year commencing on the 1st day of April, 2016 and subsequent previous years.

Disclosure

13. Following disclosures shall be made in respect of revenue recognition, namely:—

- (a) in a transaction involving sale of good, total amount not recognised as revenue during the previous year due to lack of reasonably certainty of its ultimate collection along with nature of uncertainty;
- (b) the amount of revenue from service transactions recognised as revenue during the previous year;
- (c) the method used to determine the stage of completion of service transactions in progress; and
- (d) for service transactions in progress at the end of previous year:
 - (i) amount of costs incurred and recognised profits (less recognised losses) upto end of previous year;

- (ii) the amount of advances received; and
- (iii) the amount of retentions.

E. Income Computation and Disclosure Standard V relating to tangible fixed assets

Preamble

This Income Computation and Disclosure Standard is applicable for computation of income chargeable under the head “Profits and gains of business or profession” or “Income from other sources” and not for the purpose of maintenance of books of accounts.

In the case of conflict between the provisions of the Income-tax Act, 1961 (‘the Act’) and this Income Computation and Disclosure Standard, the provisions of the Act shall prevail to that extent.

Scope

1. This Income Computation and Disclosure Standard deals with the treatment of tangible fixed assets.

Definitions

- 2(1) *The following terms are used in this Income Computation and Disclosure Standard with the meanings specified:*

(a) **“Tangible fixed asset”** is an asset being land, building, machinery, plant or furniture held with the intention of being used for the purpose of producing or providing goods or services and is not held for sale in the normal course of business.

(b) **“Fair value”** of an asset is the amount for which that asset could be exchanged between knowledgeable, willing parties in an arm’s length transaction.

- (2) Words and expressions used and not defined in this Income Computation and Disclosure Standard but defined in the Act shall have the meanings assigned to them in that Act.

Identification of Tangible Fixed Assets

3. The definition in clause (a) of sub-paragraph (1) of paragraph 2 provides criteria for determining whether an item is to be classified as a tangible fixed asset.
4. Stand-by equipment and servicing equipment are to be capitalised. Machinery spares shall be charged to the revenue as and when consumed. When such spares can be used only in connection with an item of tangible fixed asset and their use is expected to be irregular, they shall be capitalised.

Components of Actual Cost

5. The actual cost of an acquired tangible fixed asset shall comprise its purchase price, import duties and other taxes, excluding those subsequently recoverable, and any directly attributable expenditure on making the asset ready for its intended use. Any trade discounts and rebates shall be deducted in arriving at the actual cost.
6. The cost of a tangible fixed asset may undergo changes subsequent to its acquisition or construction on account of
 - (i) price adjustment, changes in duties or similar factors; or
 - (ii) exchange fluctuation as specified in Income Computation and Disclosure Standard on the effects of changes in foreign exchange rates.
7. Administration and other general overhead expenses are to be excluded from the cost of tangible fixed assets if they do not relate to a specific tangible fixed asset. Expenses which are specifically attributable to construction of a project or to the acquisition of a tangible fixed asset or bringing it to its working condition, shall be included as a part of the cost of the project or as a part of the cost of the tangible fixed asset.
8. The expenditure incurred on start-up and commissioning of the project, including the expenditure incurred on test runs and experimental production, shall be capitalised. The expenditure incurred after the plant has begun commercial production, that is, production intended for sale or captive consumption, shall be treated as revenue expenditure.

Self-constructed Tangible Fixed Assets

9. In arriving at the actual cost of self-constructed tangible fixed assets, the same principles shall apply as those described in paragraphs 5 to 8. Cost of construction that relate directly to the specific tangible fixed asset and costs that are attributable to the construction activity in general and can be allocated to the specific tangible fixed asset shall be included in actual cost. Any internal profits shall be eliminated in arriving at such costs.

Non-monetary Consideration

10. When a tangible fixed asset is acquired in exchange for another asset, the fair value of the tangible fixed asset so acquired shall be its actual cost.
11. When a tangible fixed asset is acquired in exchange for shares or other securities, the fair value of the tangible fixed asset so acquired shall be its actual cost.

Improvements and Repairs

12. An Expenditure that increases the future benefits from the existing asset beyond its previously assessed standard of performance is added to the actual cost.
13. The cost of an addition or extension to an existing tangible fixed asset which is of a capital nature and which becomes an integral part of the existing tangible fixed asset is to be added to its actual cost. Any addition or extension, which has a separate identity and is capable of being used after the existing tangible fixed asset is disposed of, shall be treated as separate asset.

Valuation of Tangible Fixed Assets in Special Cases

14. Where a person owns tangible fixed assets jointly with others, the proportion in the actual cost, accumulated depreciation and written down value is grouped together with similar fully owned tangible fixed assets.
15. Where several assets are purchased for a consolidated price, the consideration shall be apportioned to the various assets on a fair basis.

Transitional Provisions

16. The actual cost of tangible fixed assets, acquisition or construction of which commenced on or before the 31st day of March, 2016 but not completed by the said date, shall be recognised in accordance with the provisions of this standard. The amount of actual cost, if any, recognised for the said assets for any previous year commencing on or before the 1st day of April, 2015 shall be taken into account for recognising actual cost of the said assets for the previous year commencing on the 1st day of April, 2016 and subsequent previous years.

Depreciation

17. *Depreciation on a tangible fixed asset shall be computed in accordance with the provisions of the Act.*

Transfers

18. *Income arising on transfer of a tangible fixed asset shall be computed in accordance with the provisions of the Act.*

Disclosures

19. Following disclosure shall be made in respect of tangible fixed assets, namely:—
- (a) description of asset or block of assets;
 - (b) rate of depreciation;
 - (c) actual cost or written down value, as the case may be;
 - (d) additions or deductions during the year with dates; in the case of any addition of an asset, date put to use; including adjustments on account of—
 - (i) Central Value Added Tax credit claimed and allowed under the CENVAT Credit Rules, 2004;

- (ii) change in rate of exchange of currency;
- (iii) subsidy or grant or reimbursement, by whatever name called;
- (e) depreciation Allowable; and
- (f) written down value at the end of year.

F. Income Computation and Disclosure Standard VI relating to the effects of changes in foreign exchange rates

Preamble

This Income Computation and Disclosure Standard is applicable for computation of income chargeable under the head “Profits and gains of business or profession” or “Income from other sources” and not for the purpose of maintenance of books of accounts.

In the case of conflict between the provisions of the Income-tax Act, 1961 (‘the Act’) and this Income Computation and Disclosure Standard, the provisions of the Act shall prevail to that extent.

Scope

1. This Income Computation and Disclosure Standard deals with:
 - (a) treatment of transactions in foreign currencies;
 - (b) translating the financial statements of foreign operations;
 - (c) treatment of foreign currency transactions in the nature of forward exchange contracts.

Definitions

2. (1) The following terms are used in this Income Computation and Disclosure Standard with the meanings specified:

- (a) **“Average rate”** is the mean of the exchange rates in force during a period.
- (b) **“Closing rate”** is the exchange rate at the last day of the previous year.
- (c) **“Exchange difference”** is the difference resulting from reporting the same number of units of a foreign currency in the reporting currency of a person at different exchange rates.
- (d) **“Exchange rate”** is the ratio for exchange of two currencies.
- (e) **“Foreign currency”** is a currency other than the reporting currency of a person.
- (f) **“Foreign operations of a person”** is a branch, by whatever name called, of that person, the activities of which are based or conducted in a country other than India.
- (g) **“Foreign currency transaction”** is a transaction which is denominated in or requires settlement in a foreign currency, including transactions arising when a person:—
 - (i) buys or sells goods or services whose price is denominated in a foreign currency; or
 - (ii) borrows or lends funds when the amounts payable or receivable are denominated in a foreign currency; or
 - (iii) becomes a party to an unperformed forward exchange contract; or
 - (iv) otherwise acquires or disposes of assets, or incurs or settles liabilities, denominated in a foreign currency.
- (h) **“Forward exchange contract”** means an agreement to exchange different currencies at a forward rate, and includes a foreign currency option contract or another financial instrument of a similar nature;
- (i) **“Forward rate”** is the specified exchange rate for exchange of two Currencies at a specified future date;

- (j) **“Indian currency”** shall have the meaning as assigned to it in section 2 of the Foreign Exchange Management Act, 1999 (42 of 1999);
 - (k) **“Monetary items”** are money held and assets to be received or liabilities to be paid in fixed or determinable amounts of money. Cash, receivables, and payables are examples of monetary items;
 - (l) **“Non-monetary items”** are assets and liabilities other than monetary items. Fixed assets, inventories, and investments in equity shares are examples of non-monetary items;
 - (m) **“Reporting currency”** means Indian currency except for foreign operations where it shall mean currency of the country where the operations are carried out.
- (2) Words and expressions used and not defined in this Income Computation and Disclosure Standard but defined in the Act shall have the meaning assigned to them in the Act.

Foreign Currency Transactions

Initial Recognition

- 3(1) A foreign currency transaction shall be recorded, on initial recognition in the reporting currency, by applying to the foreign currency amount the exchange rate between the reporting currency and the foreign currency at the date of the transaction.
- (2) An average rate for a week or a month that approximates the actual rate at the date of the transaction may be used for all transaction in each foreign currency occurring during that period. If the exchange rate fluctuates significantly, the actual rate at the date of the transaction shall be used.

Conversion at Last Date of Previous Year

4. At last day of each previous year:—
- (a) foreign currency monetary items shall be converted into reporting currency by applying the closing rate;
 - (b) where the closing rate does not reflect with reasonable accuracy, the amount in reporting currency that is likely to be realised from or required to disburse, a foreign currency monetary item owing to restriction on remittances or the closing rate being unrealistic and it is not possible to effect an exchange of currencies at that rate, then the relevant monetary item shall be reported in the reporting currency at the amount which is likely to be realised from or required to disburse such item at the last date of the previous year; and
 - (c) non-monetary items in a foreign currency shall be converted into reporting currency by using the exchange rate at the date of the transaction.
 - (d) non-monetary item being inventory which is carried at net realisable value denominated in a foreign currency shall be reported using the exchange rate that existed when such value was determined.

Recognition of Exchange Differences

5. (i) In respect of monetary items, exchange differences arising on the settlement thereof or on conversion thereof at last day of the previous year shall be recognised as income or as expense in that previous year.
- (ii) In respect of non-monetary items, exchange differences arising on conversion thereof at the last day of the previous year shall not be recognised as income or as expense in that previous year.

Exceptions to Paragraphs 3, 4 and 5

6. Notwithstanding anything contained in paragraph 3, 4 and 5; initial recognition, conversion and recognition of exchange difference shall be subject to provisions of section 43A of the Act or Rule 115 of Income-tax Rules, 1962, as the case may be.

Financial Statements of Foreign Operations

7. The financial statements of a foreign operation shall be translated using the principles and procedures in paragraphs 3 to 6 as if the transactions of the foreign operation had been those of the person himself.

Forward Exchange Contracts

8. (1) Any premium or discount arising at the inception of a forward exchange contract shall be amortised as expense or income over the life of the contract. Exchange differences on such a contract shall be recognised as income or as expense in the previous year in which the exchange rates change. Any profit or loss arising on cancellation or renewal shall be recognised as income or as expense for the previous year.
- (2) The provisions of sub-para (1) shall apply provided that the contract:
- (a) is not intended for trading or speculation purposes; and
 - (b) is entered into to establish the amount of the reporting currency required or available at the settlement date of the transaction.
- (3) The provisions of sub-para (1) shall not apply to the contract that is entered into to hedge the foreign currency risk of a firm commitment or a highly probable forecast transaction. For this purpose, firm commitment, shall not include assets and liabilities existing at the end of the previous year.
- (4) The premium or discount that arises on the contract is measured by the difference between the exchange rate at the date of the inception of the contract and the forward rate specified in the contract. Exchange difference on the contract is the difference between:
- the foreign currency amount of the contract translated at the exchange rate at the last day of the previous year, or the settlement date where the transaction is settled during the previous year; and
- (a) the same foreign currency amount translated at the date of inception of the contract or the last day of the immediately preceding previous year, whichever is later.
- (5) Premium, discount or exchange difference on contracts that are intended for trading or speculation purposes, or that are entered into to hedge the foreign currency risk of a firm commitment or a highly probable forecast transaction shall be recognised at the time of settlement.

Transitional Provisions

9. (1) All foreign currency transactions undertaken on or after 1st day of April, 2016 shall be recognised in accordance with the provisions of this standard.
- (2) Exchange differences arising in respect of monetary items or non-monetary items, on the settlement thereof during the previous year commencing on the 1st day of April, 2016 or on conversion thereof at the last day of the previous year commencing on the 1st day of April, 2016, shall be recognised in accordance with the provisions of this standard after taking into account the amount recognised on the last day of the previous year ending on the 31st March, 2016 for an item, if any, which is carried forward from said previous year.
- (3) The financial statements of foreign operations for the previous year commencing on the 1st day of April, 2016 shall be translated using the principles and procedures specified in this standard after taking into account the amount recognised on the last day of the previous year ending on the 31st March, 2016 for an item, if any, which is carried forward from said previous year.
- (4) All forward exchange contracts existing on the 1st day of April, 2016 or entered on or after 1st day of April, 2016 shall be dealt with in accordance with the provisions of this standard after taking into account the income or expenses, if any, recognised in respect of said contracts for the previous year ending on or before the 31st March, 2016.

G. Income Computation and Disclosure Standard VII relating to government grants**Preamble**

This Income Computation and Disclosure Standard is applicable for computation of income chargeable under the head “Profits and gains of business or profession” or “Income from other sources” and not for the purpose of maintenance of books of account.

In case of conflict between the provisions of the Income Tax Act, 1961 ('the Act') and this Income Computation and Disclosure Standard, the provisions of the Act shall prevail to that extent.

Scope

1. This Income Computation and Disclosure Standard deals with the treatment of Government grants. The Government grants are sometimes called by other names such as subsidies, cash incentives, duty drawbacks, waiver, concessions, reimbursements, etc.
2. This Income Computation and Disclosure Standard does not deal with:—
 - (a) Government assistance other than in the form of Government grants; and
 - (b) Government participation in the ownership of the enterprise.

Definitions

- 3(1) The following terms are used in the Income Computation and Disclosure Standard with the meanings specified:
 - (a) **"Government"** refers to the Central Government, State Governments, agencies and similar bodies, whether local, national or international.
 - (b) **"Government grants"** are assistance by Government in cash or kind to a person for past or future compliance with certain conditions. They exclude those forms of Government assistance which cannot have a value placed upon them and the transactions with Government which cannot be distinguished from the normal trading transactions of the person.
- 3(2) Words and expressions used and not defined in this Income Computation and Disclosure Standard but defined in the Act shall have the meaning assigned to them in the Act.

Recognition of Government Grants

- 4(1) *Government grants should not be recognised until there is reasonable assurance that (i) the person shall comply with the conditions attached to them, and (ii) the grants shall be received.*
- 4(2) *Recognition of Government grant shall not be postponed beyond the date of actual receipt.*

Treatment of Government Grants

5. *Where the Government grant relates to a depreciable fixed asset or assets of a person, the grant shall be deducted from the actual cost of the asset or assets concerned or from the written down value of block of assets to which concerned asset or assets belonged to.*
6. *Where the Government grant relates to a non-depreciable asset or assets of a person requiring fulfillment of certain obligations, the grant shall be recognised as income over the same period over which the cost of meeting such obligations is charged to income.*
7. *Where the Government grant is of such a nature that it cannot be directly relatable to the asset acquired, so much of the amount which bears to the total Government grant, the same proportion as such asset bears to all the assets in respect of or with reference to which the Government grant is so received, shall be deducted from the actual cost of the asset or shall be reduced from the written down value of block of assets to which the asset or assets belonged to.*
8. *The Government grant that is receivable as compensation for expenses or losses incurred in a previous financial year or for the purpose of giving immediate financial support to the person with no further related costs, shall be recognised as income of the period in which it is receivable.*
9. *The Government grants other than covered by paragraph 5, 6, 7, and 8 shall be recognised as income over the periods necessary to match them with the related costs which they are intended to compensate.*
10. *The Government grants in the form of non-monetary assets, given at a concessional rate, shall be accounted for on the basis of their acquisition cost.*

Refund of Government Grants

11. *The amount refundable in respect of a Government grant referred to in paragraphs 6, 8 and 9 shall be applied first against any unamortised deferred credit remaining in respect of the Government grant. To the extent that the amount refundable exceeds any such deferred credit, or where no deferred credit exists, the amount shall be charged to profit and loss statement.*
12. *The amount refundable in respect of a Government grant related to a depreciable fixed asset or assets shall be recorded by increasing the actual cost or written down value of block of assets by the amount refundable. Where the actual cost of the asset is increased, depreciation on the revised actual cost or written down value shall be provided prospectively at the prescribed rate.*

Transitional Provisions

13. All the Government grants which meet the recognition criteria of para 4 on or after 1st day of April, 2016 shall be recognised for the previous year commencing on or after 1st day of April, 2016 in accordance with the provisions of this standard after taking into account the amount, if any, of the said Government grant recognised for any previous year ending on or before 31st day of March, 2016.

Disclosures

14. Following disclosure shall be made in respect of Government grants, namely:—
 - (a) nature and extent of Government grants recognised during the previous year by way of deduction from the actual cost *of the asset or assets or from the written down value of block of assets during the previous year*;
 - (b) nature and extent of Government grants recognised during the previous year as income;
 - (c) nature and extent of Government grants not recognised during the previous year by way of deduction from the actual cost *of the asset or assets or from the written down value of block of assets and reasons thereof*; and
 - (d) nature and extent of Government grants not recognised during the previous year as income and reasons thereof.

H. Income Computation and Disclosure Standard VIII relating to securities

Preamble

This Income Computation and Disclosure Standard is applicable for computation of income chargeable under the head “Profits and gains of business or profession” or “Income from other sources” and not for the purpose of maintenance of books of account.

In the case of conflict between the provisions of the Income-tax Act, 1961 (‘the Act’) and this Income Computation and Disclosure Standard, the provisions of the Act shall prevail to that extent.

Part A

Scope

1. This part of Income Computation and Disclosure Standard deals with securities held as stock-in-trade.
2. This part of Income Computation and Disclosure Standard does not deal with:
 - (a) the bases for recognition of interest and dividends on securities which are covered by the Income Computation and Disclosure Standard on revenue recognition;
 - (b) securities held by a person engaged in the business of insurance;
 - (c) securities held by mutual funds, venture capital funds, banks and public financial institutions formed under a Central or a State Act or so declared under the Companies Act, 1956 (1 of 1956) or the Companies Act, 2013 (18 of 2013).

Definitions

- 3(1) The following terms are used in this part of Income Computation and Disclosure Standard with the meanings specified:

- (a) **“Fair value”** is the amount for which an asset could be exchanged between a knowledgeable, willing buyer and a knowledgeable, willing seller in an arm’s length transaction.
- (b) **“Securities”** shall have the meaning assigned to it in clause (h) of Section 2 of the Securities Contracts (Regulation) Act, 1956 (42 of 1956) and shall include share of a company in which public are not substantially interested but shall not include derivatives referred to in sub-clause (ia) of that clause (h).

3(2) Words and expressions used and not defined in this part of Income Computation and Disclosure Standard but defined in the Act shall have the meaning respectively assigned to them in the Act.

Recognition and Initial Measurement of Securities

- 4. *A security on acquisition shall be recognised at actual cost.*
- 5. *The actual cost of a security shall comprise of its purchase price and include acquisition charges such as brokerage, fees, tax, duty or cess.*
- 6. *Where a security is acquired in exchange for other securities, the fair value of the security so acquired shall be its actual cost.*
- 7. *Where a security is acquired in exchange for another asset, the fair value of the security so acquired shall be its actual cost.*
- 8. *Where unpaid interest has accrued before the acquisition of an interest-bearing security and is included in the price paid for the security, the subsequent receipt of interest is allocated between pre-acquisition and post-acquisition periods; the pre-acquisition portion of the interest is deducted from the actual cost.*

Subsequent Measurement of Securities

- 9. *At the end of any previous year, securities held as stock-in-trade shall be valued at actual cost initially recognised or net realisable value at the end of that previous year, whichever is lower.*
- 10. *For the purpose of para 9, the comparison of actual cost initially recognised and net realisable value shall be done categorywise and not for each individual security. For this purpose, securities shall be classified into the following categories, namely:-*
 - (a) *shares;*
 - (b) *debt securities;*
 - (c) *convertible securities; and*
 - (d) *any other securities not covered above.*
- 11. *The value of securities held as stock-in-trade of a business as on the beginning of the previous year shall be:*
 - (a) *the cost of securities available, if any, on the day of the commencement of the business when the business has commenced during the previous year; and*
 - (b) *the value of the securities of the business as on the close of the immediately preceding previous year, in any other case.*
- 12. *Notwithstanding anything contained in para 9, 10 and 11, at the end of any previous year, securities not listed on a recognised stock exchange; or listed but not quoted on a recognised stock exchange with regularity from time to time, shall be valued at actual cost initially recognised.*
- 13. *For the purposes of para 9, 10 and 11 where the actual cost initially recognised cannot be ascertained by reference to specific identification, the cost of such security shall be determined on the basis of first-in-first-out method or weighted average cost formula.*

Part B

Scope

1. This part of Income Computation and Disclosure Standard deals with securities held by a scheduled bank or public financial institutions formed under a Central or a State Act or so declared under the Companies Act, 1956 (1 of 1956) or the Companies Act, 2013 (18 of 2013).

Definitions

- 2(1) The following terms are used in this part of Income Computation and Disclosure Standard with the meanings specified:

- (a) **“Scheduled Bank”** shall have the meaning assigned to it in clause (ii) of the Explanation to clause (viiia) of sub-section (1) of section 36 of the Act.
- (b) **“Securities”** shall have the meaning assigned to it in clause (h) of Section 2 of the Securities Contract (Regulation) Act, 1956 (42 of 1956) and shall include share of a company in which public are not substantially interested;

- 2(2) Words and expressions used and not defined in this part of Income Computation and Disclosure Standard but defined in the Act shall have the meaning respectively assigned to them in the Act.

Classification, Recognition and Measurement of Securities

3. Securities shall be classified, recognised and measured in accordance with the extant guidelines issued by the Reserve Bank of India in this regard and any claim for deduction in excess of the said guidelines shall not be taken into account. To this extent, the provisions of Income Computation and Disclosure Standard VI on the effect of changes in foreign exchange rates relating to forward exchange contracts shall not apply.”

I. Income Computation and Disclosure Standard IX relating to borrowing costs

Preamble

This Income Computation and Disclosure Standard is applicable for computation of income chargeable under the head “Profits and gains of business or profession” or “Income from other sources” and not for the purpose of maintenance of books of account.

In the case of conflict between the provisions of the Income-tax Act, 1961 (‘the Act’) and this Income Computation and Disclosure Standard, the provisions of the Act shall prevail to that extent.

Scope

1. (1) This Income Computation and Disclosure Standard deals with treatment of borrowing costs.
- (2) This Income Computation and Disclosure Standard does not deal with the actual or imputed cost of owners’ equity and preference share capital.

Definitions

2. (1) The following terms are used in this Income Computation and Disclosure Standard with the meanings specified:
 - (a) **“Borrowing costs”** are interest and other costs incurred by a person in connection with the borrowing of funds and include:
 - (i) commitment charges on borrowings;
 - (ii) amortised amount of discounts or premiums relating to borrowings;
 - (iii) amortised amount of ancillary costs incurred in connection with the arrangement of borrowings;
 - (iv) finance charges in respect of assets acquired under finance leases or under other similar arrangements.
 - (b) **“Qualifying asset”** means:

- (i) land, building, machinery, plant or furniture, being tangible assets;
 - (ii) know-how, patents, copyrights, trade marks, licences, franchises or any other business or commercial rights of similar nature, being intangible assets;
 - (iii) inventories that require a period of twelve months or more to bring them to a saleable condition.
- (2) Words and expressions used and not defined in this Income Computation and Disclosure Standard but defined in the Act shall have the meaning assigned to them in the Act.

Recognition

3. Borrowing costs that are directly attributable to the acquisition, construction or production of a qualifying asset shall be capitalised as part of the cost of that asset. The amount of borrowing costs eligible for capitalisation shall be determined in accordance with this Income Computation and Disclosure Standard. Other borrowing costs shall be recognised in accordance with the provisions of the Act.
4. For the purposes of this Income Computation and Disclosure Standard, “capitalisation” in the context of inventory referred to in item (iii) of clause (b) of sub-paragraph (1) of paragraph 2 means addition of borrowing cost to the cost of inventory.

Borrowing Costs Eligible for Capitalisation

5. Subject to paragraph 8, the extent to which funds are borrowed specifically for the purposes of acquisition, construction or production of a qualifying asset, the amount of borrowing costs to be capitalised on that asset shall be the actual borrowing costs incurred during the period on the funds so borrowed.

“6. Subject to Para 8, in respect of borrowing other than those referred to in Para 5, if any, the amount of borrowing costs to be capitalised shall be computed in accordance with the following formula namely :—

$$A \times \frac{B}{C}$$

Where A = borrowing costs incurred during the previous year except on borrowings referred to in Para 5 above;

B = (i) the average of costs of qualifying asset as appearing in the balance sheet of a person on the first day and the last day of the previous year;

(ii) in case the qualifying asset does not appear in the balance sheet of a person on the first day, half of the cost of qualifying asset; or

(iii) in case the qualifying asset does not appear in the balance sheet of a person on the last day of the previous year, the average of the costs of qualifying asset as appearing in the balance sheet of a person on the first day of the previous year and on the date of put to use or completion, as the case may be,

excluding the extent to which the qualifying assets are directly funded out of specific borrowings;

C = the average of the amount of total assets as appearing in the balance sheet of a person on the first day and the last day of the previous year, other than assets to the extent they are directly funded out of specific borrowings;

Explanation—For the purpose of this paragraph, a qualifying asset shall be such asset that necessarily require a period of twelve months or more for its acquisition, construction or production.

Commencement of Capitalisation

7. The capitalisation of borrowing costs shall commence:
 - (a) in a case referred to in paragraph 5, from the date on which funds were borrowed;
 - (b) in a case referred to in paragraph 6, from the date on which funds were utilised.

Cessation of Capitalisation

8. Capitalisation of borrowing costs shall cease:
 - (a) in case of a qualifying asset referred to in item (i) and (ii) of clause (b) of sub-paragraph (1) of paragraph 2, when such asset is first put to use;
 - (b) in case of inventory referred to in item (iii) of clause (b) of sub-paragraph (1) of paragraph 2, when substantially all the activities necessary to prepare such inventory for its intended sale are complete.
9. When the construction of a qualifying asset is completed in parts and a completed part is capable of being used while construction continues for the other parts, capitalisation of borrowing costs in relation to a part shall cease:—
 - (a) in case of part of a qualifying asset referred to in item (i) and (ii) of clause (b) of sub-paragraph (1) of paragraph 2, when such part of a qualifying asset is first put to use;
 - (b) in case of part of inventory referred to in item (iii) of clause (b) of sub-paragraph (1) of paragraph 2, when substantially all the activities necessary to prepare such part of inventory for its intended sale are complete.

Transitional Provisions

10. All the borrowing costs incurred on or after 1st day of April, 2016 shall be capitalised for the previous year commencing on or after 1st day of April, 2016 in accordance with the provisions of this standard after taking into account the amount of borrowing costs capitalised, if any, for the same borrowing for any previous year ending on or before 31st day of March, 2016.

Disclosure

11. The following disclosure shall be made in respect of borrowing costs, namely:—
 - (a) the accounting policy adopted for borrowing costs; and
 - (b) the amount of borrowing costs capitalised during the previous year.

J. Income Computation and Disclosure Standard X relating to provisions, contingent liabilities and contingent assets

Preamble

This Income Computation and Disclosure Standard is applicable for computation of income chargeable under the head “Profits and gains of business or profession” or “Income from other sources” and not for the purpose of maintenance of books of accounts.

In the case of conflict between the provisions of the Income-tax Act, 1961 (‘the Act’) and this Income Computation and Disclosure Standard, the provisions of the Act shall prevail to that extent.

Scope

1. This Income Computation and Disclosure Standard deals with provisions, contingent liabilities and contingent assets, except those:
 - (a) resulting from financial instruments;

- (b) resulting from executory contracts;
 - (c) arising in insurance business from contracts with policyholders; and
 - (d) covered by another Income Computation and Disclosure Standard.
2. This Income Computation and Disclosure Standard does not deal with the recognition of revenue which is dealt with by Income Computation and Disclosure Standard - Revenue Recognition.
3. The term ‘provision’ is also used in the context of items such as depreciation, impairment of assets and doubtful debts which are adjustments to the carrying amounts of assets and are not addressed in this Income Computation and Disclosure Standard.

Definitions

4(1) The following terms are used in this Income Computation and Disclosure Standard with the meanings specified:

- (a) **“Provision”** is a liability which can be measured only by using a substantial degree of estimation.
- (b) **“Liability”** is a present obligation of the person arising from past events, the settlement of which is expected to result in an outflow from the person of resources embodying economic benefits.
- (c) **“Obligating event”** is an event that creates an obligation that results in a person having no realistic alternative to settling that obligation.
- (d) **“Contingent liability”** is:
 - (i) a possible obligation that arises from past events and the existence of which will be confirmed only by the occurrence or nonoccurrence of one or more uncertain future events not wholly within the control of the person; or
 - (ii) a present obligation that arises from past events but is not recognised because:
 - (A) it is not reasonably certain that an outflow of resources embodying economic benefits will be required to settle the obligation; or
 - (B) a reliable estimate of the amount of the obligation cannot be made.
- (e) **“Contingent asset”** is a possible asset that arises from past events the existence of which will be confirmed only by the occurrence or nonoccurrence of one or more uncertain future events not wholly within the control of the person.
- (f) **“Executory contracts”** are contracts under which neither party has performed any of its obligations or both parties have partially performed their obligations to an equal extent.
- (g) **“Present obligation”** is an obligation if, based on the evidence available, its existence at the end of the previous year is considered reasonably certain.

4(2) Words and expressions used and not defined in this Income Computation and Disclosure Standard but defined in the Act shall have the meaning respectively assigned to them in the Act.

Recognition

Provisions

5. A provision shall be recognised when:
- (a) a person has a present obligation as a result of a past event;
 - (b) it is reasonably certain that an outflow of resources embodying economic benefits will be required to settle the obligation; and
 - (c) a reliable estimate can be made of the amount of the obligation.
- If these conditions are not met, no provision shall be recognised.
6. No provision shall be recognised for costs that need to be incurred to operate in the future.

7. It is only those obligations arising from past events existing independently of a person's future actions, that is the future conduct of its business, that are recognised as provisions

8. Where details of a proposed new law have yet to be finalised, an obligation arises only when the legislation is enacted.

Contingent Liabilities

9. A person shall not recognise a contingent liability.

Contingent Assets

10. A person shall not recognise a contingent asset.

11. Contingent assets are assessed continually and when it becomes reasonably certain that inflow of economic benefit will arise, the asset and related income are recognised in the previous year in which the change occurs.

Measurement

Best Estimate

12. The amount recognised as a provision shall be the best estimate of the expenditure required to settle the present obligation at the end of the previous year. The amount of a provision shall not be discounted to its present value.

13. The amount recognised as asset and related income shall be the best estimate of the value of economic benefit arising at the end of the previous year. The amount and related income shall not be discounted to its present value.

Reimbursements

14. Where some or all of the expenditure required to settle a provision is expected to be reimbursed by another party, the reimbursement shall be recognised when it is reasonably certain that reimbursement will be received if the person settles the obligation. The amount recognised for the reimbursement shall not exceed the amount of the provision.

15. Where a person is not liable for payment of costs in case the third party fails to pay, no provision shall be made for those costs.

16. An obligation, for which a person is jointly and severally liable, is a contingent liability to the extent that it is expected that the obligation will be settled by the other parties.

Review

17. Provisions shall be reviewed at the end of each previous year and adjusted to reflect the current best estimate. If it is no longer reasonably certain that an outflow of resources embodying economic benefits will be required to settle the obligation, the provision should be reversed.

18. An asset and related income recognised as provided in para 11 shall be reviewed at the end of each previous year and adjusted to reflect the current best estimate. If it is no longer reasonably certain that an inflow of economic benefits will arise, the asset and related income shall be reversed.

Use of Provisions

19. A provision shall be used only for expenditures for which the provision was originally recognised.

Transitional Provisions

20. All the provisions or assets and related income shall be recognised for the previous year commencing on or after 1st day of April, 2016 in accordance with the provisions of this standard after taking into account the amount recognised, if any, for the same for any previous year ending on or before 31st day of March, 2016.

Disclosure

21(1) Following disclosure shall be made in respect of each class of provision, namely:-

(a) a brief description of the nature of the obligation;

- (b) the carrying amount at the beginning and end of the previous year;
- (c) additional provisions made during the previous year, including increases to existing provisions;
- (d) amounts used, that is incurred and charged against the provision, during the previous year;
- (e) unused amounts reversed during the previous year; and
- (f) the amount of any expected reimbursement, stating the amount of any asset that has been recognised for that expected reimbursement.

21(2) Following disclosure shall be made in respect of each class of asset and related income recognised as provided in para 11, namely:—

- (a) a brief description of the nature of the asset and related income;
- (b) the carrying amount of asset at the beginning and end of the previous year;
- (c) additional amount of asset and related income recognised during the year, including increases to assets and related income already recognised; and
- (d) amount of asset and related income reversed during the previous year.

[Notification No. 87/2016/F. No. 133/23/2015-TPL]

PITAMBAR DAS, Director (Tax Policy & Legislation)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 29 सितम्बर, 2016

आय-कर

का.आ. 3080(अ).—केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, आय-कर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 295 के साथ पठित धारा 44कख द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, आय-कर नियम, 1962 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाता है, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम आय-कर (तेईसवाँ संशोधन) नियम, 2016 है।

(2) ये 1 अप्रैल, 2017 से प्रवृत्त होंगे।

2. आय-कर नियम, 1962 के परिशिष्ट 2 में, प्ररूप सं. 3गघ में, भाग ख में, खंड 13 में, उपखंड (घ) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

“(घ) क्या धारा 145(2) के अधीन अधिसूचित आय-कर संगणना और प्रकटन मानकों के उपबंधों की अनुपालना के लिए लाभ या हानि में कोई समायोजन करना अपेक्षित है ;

(ङ) यदि पूर्वोक्त (घ) का उत्तर हां में है तो ऐसे समायोजनों के ब्यौरे दें :

		लाभ में वृद्धि (रुपए में)	लाभ में कमी (रुपए में)	शुद्ध प्रभार (रुपए में)
आईसीडीएस 1	लेखांकन नीतियां			
आईसीडीएस 2	माल सूचियों का मूल्यांकन			
आईसीडीएस 3	संनिर्माण संविदाएं			

आईसीडीएस 4	राजस्व मान्यता			
आईसीडीएस 5	अमृत नियत आस्तियां			
आईसीडीएस 6	विदेशी मुद्रा विनिमय दरों में परिवर्तन			
आईसीडीएस 7	सरकारी अनुदान			
आईसीडीएस 8	प्रतिभूतियां			
आईसीडीएस 9	उधार लेने की लागत			
आईसीडीएस 10	उपबंध, आकस्मिक दायित्व और आकस्मिक आस्तियां			
	योग			

(च) आईसीडीएस के अनुसार प्रकटन :

(i)	आईसीडीएस 1-	लेखांकन नीतियां
(ii)	आईसीडीएस 2-	माल सूचियों का मूल्यांकन
(iii)	आईसीडीएस 3-	संनिर्माण संविदाएं
(iv)	आईसीडीएस 4-	राजस्व मान्यता
(v)	आईसीडीएस 5-	अमृत नियत आस्तियां
(vi)	आईसीडीएस 7-	सरकारी अनुदान
(vii)	आईसीडीएस 9-	उधार लेने की लागत
(viii)	आईसीडीएस 10-	उपबंध, आकस्मिक दायित्व और आकस्मिक आस्तियां ।”

[अधिसूचना सं. 88/2016/फा. सं. 133/23/2015-टीपीएल]

पितम्बर दास, निदेशक (कर नीति और विधान)

टिप्पण : मूल नियम, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (ii) में अधिसूचना सं. का.आ. 969(अ) तारीख 26 मार्च, 1962 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और उनका अंतिम संशोधन अधिसूचना सं. का.आ. 2979(अ) तारीख 16/9/2016 द्वारा किया गया था ।

NOTIFICATION

New Delhi, the 29th September, 2016

INCOME-TAX

S.O. 3080(E).—In exercise of the powers conferred by section 44AB, read with section 295 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Board of Direct Taxes hereby makes the following rules further to amend the Income-tax Rules, 1962, namely:—

- (1) These rule may be called the Income-tax (23rd Amendment) Rules, 2016.
- (2) They shall come into force with effect from 1st April, 2017.
- In the Income-tax Rules, 1962, in Appendix II , in Form No. 3CD, in Part-B, in clause 13, for sub-clause (d), the following shall be substituted ,namely, —

“(d) Whether any adjustment is required to be made to the profits or loss for complying with the provisions of income computation and disclosure standards notified under section 145(2)

(e) If answer to (d) above is in the affirmative, give details of such adjustments:

		Increase in profit (Rs.)	Decrease in profit (Rs.)	Net effect (Rs.)
ICDS I	Accounting Policies			
ICDS II	Valuation of Inventories			
ICDS III	Construction Contracts			
ICDS IV	Revenue Recognition			
ICDS V	Tangible Fixed Assets			
ICDS VI	Changes in Foreign Exchange Rates			
ICDS VII	Governments Grants			
ICDS VIII	Securities			
ICDS IX	Borrowing Costs			
ICDS X	Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets			
	Total			

(f) Disclosure as per ICDS:

(i)	ICDS I-Accounting Policies
(ii)	ICDS II-Valuation of Inventories
(iii)	ICDS III-Construction Contracts
(iv)	ICDS IV-Revenue Recognition
(v)	ICDS V-Tangible Fixed Assets
(vi)	ICDS VII-Governments Grants
(vii)	ICDS IX Borrowing Costs
(viii)	ICDS X-Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets”.

[Notification No. 88/2016/F. No. 133/23/2015-TPL]

PITAMBAR DAS, Director (Tax Policy & Legislation)

Note: The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) vide notification number S.O. 969(E), dated the 26th March, 1962 and last amended vide notification number S.O. 2979(E), dated the 16.9.2016.